प्रधानों का अकादमिक, प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण

(1991)

NIEPA DC
D07715

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

(राजकीय सी० पी० आई०)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

-542
370.71
GTT-P

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7715
Date 01-09-93

प्रस्तुति :

1991

समन्वयक—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय —प्राचार्य

संयोजक—श्री उमेश दत्त पाण्डेय—प्राध्यापक

सह संयोजक—श्री बच्चा प्रसाद वर्मा—प्राध्यापक

सह संयोजक—श्री चन्द्र मणि मिश्र —प्रवक्ता

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

(राजकीय सी० पी० आई०)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

निवेदन

शिक्षा का गुणात्मक विकास प्रधानाचार्य की योग्यता, तत्परता, कार्य शैली, शैक्षिक नियोजन एवं कार्यान्वयन की कुशलता आदि पर निर्भर करती है, जिसके लिए उनके चरित्र, कार्यशैली एवं बौद्धिक सम्पदा में युगानुरूप परिवर्तन और परिवर्द्धन नितान्त आवश्यक होता है। प्रधानाचार्य के रूप में किसी भी विद्यालय का संचालन गुरुतर दायित्व है क्योंकि उसी परिधि में विद्यालय का उत्कर्ष और विकास निहित होता है। एक ओर वह छात्रों के लिए मूल प्रेरक का कार्य करता है, वहीं उसे अपने कार्य, व्यवहार एवं चरित्र से एक आदर्श स्थिति का निर्माण भी करना पड़ता है। आज के इस द्रुतगति से परिवर्तनशील युग में शैक्षणिक क्रिया-कलापों के संयोजन एवं क्रियान्वयन के जिन अभिनव दृष्टिकोणों का अभ्युदय हो रहा है, उनके पर्याप्त ज्ञान के अभाव में विद्यालय का कुशल संचालन असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के निर्देशन में वर्ष 90-91 में 5 फरवरी से 17 फरवरी तक इस संस्थान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नव नियुक्त प्रधानाचार्यों के लिए अकादमिक, प्रशासकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभाग के सुयोग्य और कर्मठ अधिकारियों द्वारा शिक्षा में गुणात्मक विकास के विविध विषयों यथा—माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, शिक्षा के विविध संसाधनों का विकास, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन शिक्षा का सार्वजनीकरण, जीरो बेस्ड बजटिंग, शैक्षिक निर्देशन एवम् परामर्श, परीक्षा संचालन, कार्यानुभव, पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप आदि प्रकरणों पर व्याख्यान दिये गये और विद्यालयों के कुशल संचालन के लिए ज्ञान, कौशल और

प्रेरणा प्रदान की गयी। प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण की सराहना की और अपने दायित्व निर्वाह के लिए इसे अत्यन्त उपयोगी कार्यक्रम निरूपित किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रतिभागियों को उद्बोधित किया और उनका मार्ग दर्शन किया, जिसके लिए हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं। उन समस्त सहभागियों के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

ज्ञानदत्त पाण्डेय
प्राचार्य
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय सी० पी० आई०)
इलाहाबाद

अनुक्रम

प्रारम्भिकी

		पृष्ठ
1. कार्यशाला-प्रशिक्षण-गोष्ठी	—	1
2. लक्ष्य समूह क्षेत्र	—	2
3. प्रशिक्षण की आख्या	—	4
4. प्रतिभागियों की सूची	—	6
5. प्रकरण एवं व्याख्याता	—	8
6. आमंत्रित विशेषज्ञ	—	11
7. सन्दर्भदातागण	—	15
8. समय सारिणी	—	17
9. पूर्व परीक्षण प्रपत्र	—	21
10. व्यय-विवरण	—	27

विषय-संबोध

11. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध	—	28
12. उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा	—	48
13. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण	—	59
14. माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन व परामर्श सेवा—आवश्यकता और क्रियान्वयन	—	63

15. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा—एक विहंगम दृष्टि — 71

16. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृत पाठ्य-पुस्तकों की उत्पादन प्रक्रिया — 79

17. पर्यावरणीय शिक्षा — 93

18. शिक्षा में नवाचार — 98

19. शैक्षिक नियोजन : माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख विकास योजनाएँ — 104

20. कार्यानुभव, पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाप, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन — 117

प्रपत्र (क)

वर्ष 1990–91

संस्था का नाम—मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
[राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान]
इलाहाबाद ।

कार्यशाला/प्रशिक्षण/गोष्ठी :

समन्वयक—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय, प्राचार्य

संयोजक—श्री उमेशदत्त पाण्डेय, प्रोफेसर

सह संयोजक—(1) श्री बच्चा प्रसाद वर्मा, प्रोफेसर

(2) श्री चन्द्र मणि मिश्र, प्रवक्ता

1	2	3			4				5		
कार्यशाला/ प्रशिक्षण/ गोष्ठी विषय	तिथि कब से कब तक	लक्ष्य समूह			लक्ष्य समूह क्षेत्र				संदर्भदाता विशेषज्ञ संख्या		
		संख्या निर्धारित	प्रतिभागी उपस्थित	अनुपस्थित	जनपद स्थान	संस्था का नाम	संख्या उपस्थिति	संख्या अनुपस्थित	वाह्य	आंतरिक	कुल योग
प्रधानाचार्यों का अकादमिक, प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण	5-2-91 से 17-2-91 तक	37	20	17		सूची संलग्न है			13	3	16

लक्ष्य समूह क्षेत्र

क्रमांक	जनपद का नाम	संस्था का नाम	उपस्थिति संख्या	अनुपस्थिति संख्या
1	2	3	4	5
1—	देवरिया	(1) रा० इ० का० देवरिया	1	शून्य
2—	पिथौरागढ़	(1) रा० इ० का० चम्बावत पिथौरागढ़	1	—
3—	अल्मोड़ा	(1) रा० इ० का० शहर फाटक अल्मोड़ा (2) रा० इ० का० कौशानी अल्मोड़ा (3) रा० इ० का० द्वारहाट अल्मोड़ा (4) रा० कन्या इ० का० अल्मोड़ा	3	:
4—	नैनीताल	(1) रा० इ० का० शक्तिफार्म नैनीताल (2) रा० इ० का० रूद्रपुर नैनीताल (3) रा० कन्या इ० का० जसपुर नैनीताल	2	1
5—	पौड़ी	(1) रा० इ० का० भृगुखाल पौड़ी (2) रा० कन्या इ० का० श्रीनगर पौड़ी	1	1
6—	चमोली	(1) रा० इ० का० कर्णप्रयाग चमोली (2) रा० कन्या इ० का० जोशीमठ चमोली	1	—
7—	देहरादून	(1) रा० इ० का० माजरीगेट, देहरादून (2) रा० इ० का० मंसूरी, देहरादून	शून्य	2
8—	टिहरी	(1) रा० इ० का० अंजनी सेन टिहरी (2) रा० कन्या इ० का० चम्बा टिहरी (3) रा० कन्या इ० का० नरेन्द्र नगर, टिहरी	2	—
9—	जालौन	(1) रा० इ० का० बंगरा जालौन	1	शून्य

1 2	3	4	5
10—वाराणसी	(1) रा० इ० का० चकिया वाराणसी (2) रा० इ० का० रामनगर वाराणसी (3) रा० कन्या इ० का० वाराणसी	2	1
11—सोनभद्र	(1) रा० इ० का० पिपरी, सोनभद्र	1	शून्य
12—मीरजापुर	(1) रा० इ० का० मिर्जापुर	1	शून्य
13—प्रतापगढ़	(1) रा० इ० का० प्रतापगढ़	शून्य	1
14—फर्रुखाबाद	(1) रा० इ० का० उमर्दा फर्रुखाबाद	शून्य	1
15—मुरादाबाद	(1) रा० इ० का० मुरादाबाद	शून्य	1
16—इटावा	(1) रा० इ० का इटावा	शून्य	1
17—मेरठ	(1) रा० इ० का० मेरठ	शून्य	1
18—बस्ती	(1) रा० इ० का० बस्ती	शून्य	1
19—शाहजहाँपुर	(1) रा० इ० का० जाहजहाँपुर	शून्य	1
20—पीलीभीत	(1) रा० इ० का० पीलीभीत	शून्य	1
21—रायबरेली	(1) रा० इ० का० फुर्सतगंज, रायबरेली	शून्य	1
22—आगरा	(1) रा० कन्या इ० का० आँवलखेड़ा, आगरा	1	शून्य
23—हमीरपुर	(1) रा० कन्या इ० का मौदहा हमीरपुर	1	शून्य
24—इलाहाबाद	(1) रा० गृहविज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद (2) रा० महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	2	शून्य

प्रधानाचार्यों का अकादमिक प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण की आख्या

समन्वयक :

श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय, प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान ।

संयोजक :

श्री उमेशदत्त पाण्डेय, प्रोफेसर ।

सहसंयोजक :

(1) श्री बच्चा प्रसाद वर्मा, प्रोफेसर राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।

(2) श्री चन्द्रमणि मिश्र, प्रवक्ता, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।

उद्देश्य :

प्राय: प्रोन्नत प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं निरीक्षक संवर्ग तथा कभी-कभी नि:संवर्गीय पदों से प्रधानाचार्य पदों पर प्रोन्नत होकर आते हैं । इन्हें प्रबन्धकीय अकादमिक एवं वित्तीय समस्त प्रकरणों का सम्यक अनुभव की कमी उनके दायित्व निर्वहन में बाधक होती है । इसकी पूर्ति हेतु इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) इस विकासात्मक प्रशिक्षण से प्रोन्नत प्रधानाचार्य अपने कार्य एवं व्यव ार में कुशलता के साथ प्रयत्नशील हो सके ।

(2) प्रोन्नत प्रधानाचार्य प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय तथ्यों की जानकारी से तत्सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइयों से मुक्त हो सकेंगे ।

(3) अकादमिक विभिन्न पक्षों, नये सन्दर्भों एवं शैक्षिक आयामों की जानकारी कर विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर सकेंगे ।

(4) वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण की विधि का ज्ञान प्राप्त कर वित्तीय समस्याओं का कुशलता एवं दक्षतापूर्वक निराकरण कर सकेंगे ।

प्रशिक्षण प्रणाली :

अनुदानित विषयों पर प्रदेश के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर प्रपत्र सहित व्याख्यान प्रस्तुतीकरण, सम्बन्धित विषय पर पारस्परिक चर्चा परिचर्चा, विचार विमर्श, समस्या

निवारण के साथ-साथ व्यावहारिक कार्य तथा शिक्षा विभाग के स्थानीय प्रतिष्ठानों का परिभ्रमण निरीक्षण एवं कार्य पद्धति का अध्ययन एवं निर्देशन ।

प्रशिक्षण/कार्यशाला पैकेज का विवरण :

विभिन्न अधुनातम विषयों पर विशेषज्ञों का वार्ता पत्रक प्रस्तुत । इन सभी वार्ता पत्रों का मुद्रण प्रस्तावित है ।

मूल्यांकन—(क) विभाग द्वारा :

प्रशिक्षण को सार्थक तथा उपयोगी पाया गया जिससे प्रधानाचार्यों को दैनिक दायित्व निर्वहन में सुविधा होगी और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी ।

(ख) प्रतिभागियों द्वारा :

प्रशिक्षण के विभिन्न तथ्यों/प्रकरणों की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रतिभागियों द्वारा अत्यन्त उपयोगी बताया गया और इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए एक अन्तराल पर प्रशिक्षण कराये जाने का सुझाव दिया गया ।

प्रधानाचार्यों का प्रबन्धकीय अकादमिक विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण

(दिनांक 5-2-91 से 17-2-91)

प्रतिभागियों की सूची

क्रमांक	प्रतिभागियों का नाम	संस्था का नाम
1	2	3
1—	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया।
2—	श्री भैरव दत्त पाण्डेय	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत, पिथौरागढ़।
3—	श्री दीवन सिंह रावत	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, शहरफाटक, अल्मोड़ा।
4—	श्री के० डी० पुजारी	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, कौशानी, अल्मोड़ा।
5—	श्री महेश चन्द्र दुबे	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।
6—	श्री बनारसी लाल आनन्द	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, शक्ति फार्म, नैनीताल।
7—	डा० श्रीमती आभा माथुर	प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, जसपुर, नैनीताल।
8—	डा० श्रीमती मीना शर्मा	प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, श्रीनगर, पौड़ी।
9—	श्री आशा तोमर	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, जोशीमठ व चमोली।
10—	श्री मेघ सिंह	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, अजनीसेन, टिहरी।
11—	श्रीमती मुमताज जहाँ	प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, चम्बा, टिहरी।

1	2	3
12---	श्री कमलेश कुमार शास्त्री	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बँगरा, जालौन ।
13—	श्री कमला शंकर पाण्डेय	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चकिया, वाराणसी ।
14—	श्रीमती शोभा पन्त	प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, वाराणसी ।
15—	श्री मंगला प्रसाद पाठक	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, सोनभद्र, मिर्जापुर ।
16—	श्री कृष्ण कुमार मिश्र	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर ।
17—	श्रीमती रमा सचान	प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आवल खेड़ा, आगरा ।
18—	डा० माधुरी श्रीवास्तव	प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, मौदहा, हमीरपुर ।
19---	डा० श्रीमती प्रेमलता सिंह	प्रधानाचार्या, राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण, महाविद्यालय, इलाहाबाद ।
20--	श्रीमती प्रतिभा मिश्र	उप प्राचार्य राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान)
इलाहाबाद।

सन्दर्भदाता सूची

प्रधानाचार्यों के अकादमिक प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक प्रशिक्षण के प्रकरण एवं उनके व्याख्याता

(क) व्याख्यान विवरण—

क्रमांक 1	प्रकरण 2	व्याख्याता का नाम 3
1—	शिक्षा में गुणवत्ता विकास के विविध पक्ष एवं कार्यपरक शोध	श्री हरि प्रसाद पाण्डेय निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2—	माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध	श्री विनय कुमार पाण्डेय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3—	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें तथा सेवा समाप्ति के नियम	श्री विनोद कुमार अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4—	दूर शिक्षा की उपादेयता, संचालन एवं उपलब्धि	श्री ए० पी० चौधरी सहायक शिक्षा निदेशक (पत्राचार) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1	2	3
5—	प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप तथा भविष्य	डा० गोविन्द सिंह बिष्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) शिक्षा निदेशालय, 18, पार्क रोड, लखनऊ ।
6—	शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन जिला योजना/पंचवर्षीय योजना	श्री उदयनारायण मिश्र उप शिक्षा निदेशक (शिविर) 18, पार्क रोड, लखनऊ ।
7—	शिक्षा का सार्वजनीकरण संकल्प और उपक्रम	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
8—	जीरो बेस्ट बजटिंग एवं आडिट	श्री बी० एल० यादव मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
9—	माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवा-महत्व एवं क्रियान्वयन तथा प्रतिभा-खोज परीक्षा	श्री श्याम नारायण राय निदेशक मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
10—	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान के स्रोत एवं समुचित उपयोग की व्यवस्था	श्री अशोक गांगुली अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
11—	आपरेशन ब्लैक-बोर्ड जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा	श्री गौरी शंकर मिश्र प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।
12—	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं का संचालन	श्री पवनेश कुमार सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

1	2	3
13—	कार्यानुभव, पाठ्यसहगामी, क्रियाकलाप सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन	श्री ज्ञान दत्त पाण्डेय प्राचार्य राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद।
14—	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, प्रणयन प्रकाशन, वितरण, मूल्य निर्धा-रण एवं सामान्य नियंत्रण	डा० श्री कृष्ण पाठक पाठ्यपुस्तक अधिकारी 6, माल एवेन्यू, लखनऊ।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान)
इलाहाबाद

प्रधानाचार्यों के अकादमिक प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक प्रशिक्षण के प्रकरण एवं उनके व्याख्याता

आमंत्रित विशेषज्ञों की सूची

(क) व्याख्यान विवरण :

क्रमांक 1	प्रकरण 2	व्याख्याता का नाम 3
1—	शिक्षा के नये आयाम	डा० एल० पी० पाण्डेय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ० प्र०, निशातगंज, लखनऊ।
2—	शिक्षा में गुणवत्ता विकास के विविध पक्ष एवं कार्य परक शोध	श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
3—	प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप एवं क्रियान्वयन	श्री बी० पी० खण्डेलवाल, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।

1	2	3
4—	माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध	श्री विनय कुमार पाण्डेय, अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5—	तृतीय तथा चतुर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा सेवा समाप्ति के नियम	श्री विनोद कुमार, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
6—	दूर शिक्षा की उपादेयता संचालन एवं उपलब्धि	श्री रुद्र नारायण शर्मा अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7—	महिला शिक्षा की स्थिति तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु शासकीय संकल्प एवं उसका कार्यान्वयन	श्रीमती दयावती खन्ना संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
8—	विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा, प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की नयी योजनाएँ	डा० वेदपति मिश्र संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
9—	नवीन शैक्षिक तकनीकी तथा विद्यालयों में इनका प्रयोग-वर्तमान कार्यक्रम एवं सम्भावनाएँ	श्री महानन्द मिश्र निदेशक, तकनीकी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10—	प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप तथा भविष्य	डा० गोविन्द सिंह विष्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), शिक्षा निदेशालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
11—	शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन जिला योजना/पंचवर्षीय योजना	श्री उदयनारायण मिश्र उप शिक्षा निदेशक (शिविर), 18 पार्क रोड, लखनऊ ।

1	2	3
12—	राजकीय सेवा के नियम अनुशासनात्मक कार्यवाही, जाँच एवं दण्ड	श्री के० के० त्रिवेदी उप शिक्षा निदेशक, बरेली ।
13—	शिक्षा का सार्वजनीकरण-संकल्प और उपक्रम	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
14—	जीरो बेस्ट बजटिंग एवं आडिट आपत्तियाँ, लोक लेखा समिति	श्री बी० एस० यादव मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
15—	माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवा-महत्व एवं क्रियान्वयन तथा प्रतिभा-खोज परीक्षा	श्री श्यामनारायण राय निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
16—	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान के स्रोत एवं समुचित उपयोग की व्यवस्था	श्री अशोक गाँगुली अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
17—	आपरेशन ब्लैक बोर्ड जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा	श्री गौरी शंकर मिश्र प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।
18—	विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण वीक्षण एवं नामिका निरीक्षण	कु० अचला खन्ना उप शिक्षा निदेशक (सेवाएँ), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
19—	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं का संचालन	श्री पवनेश कुमार सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

1	2	3
20—	विभिन्न स्तरीय छात्रवृत्तियाँ अर्हता एवं आवंटन प्रक्रिया, पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक लाभ, अध्यापकों के राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार, अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान	उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
21—	कार्यानुभवन, पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप सतत एवं व्यपाक मूल्यांकन	श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।
22—	भविष्य निर्वाह निधि नियमावली लेखापूर्ति तथा अभिलेखा अनुरक्षण	श्री के० बी० सिंह वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
23—	राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें, प्रणयन, प्रकाशन वितरण, मूल्य निर्धारण एवं सामान्य नियंत्रण	डा० श्रीकृष्ण पाठक पाठ्यपुस्तक अधिकारी, 6 माल एवेन्यू, लखनऊ ।

परिशिष्ट—3 (क)

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान)
इलाहाबाद।

प्रधानाचार्यों के अकादमिक प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक प्रशिक्षण के प्रकरण एवं उनके व्याख्याता

उपस्थित सन्दर्भदाताओं की सूची

1—श्री हरि प्रसाद पाण्डेय,
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ० प्र० लखनऊ।

2—श्री विनय कुमार पाण्डेय,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

3—श्री विनोद कुमार,
अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

4—श्री ए० पी० चौधरी,
सहायक शिक्षा निदेशक (पत्राचार),
उ० प्र०, इलाहाबाद।

5—डा० गोविन्द सिंह विष्ट,
संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय),
शिक्षा निदेशालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

6—श्री उदय नारायण मिश्र,
उप शिक्षा निदेशक (शिविर),
18 पार्क रोड, लखनऊ।

7—श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव,
बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद।

8—श्री बी० एस० यादव,
मुख्य लेखाधिकारी,
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

9—श्री श्याम नारायण राय,
निदेशक,
मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद।

10—श्री अशोक गाँगुली,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ,

11—श्री गौरी शंकर मिश्र,
प्राचार्य,
राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद।

12—श्री पवनेश कुमार,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद।

13—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय,
प्राचार्य,
राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद।

14—डा० श्री कृष्ण पाठक,
पाठ्यपुस्तक अधिकारी,
6 माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिशिष्ट—4

कार्यक्रम समय सारिणी

प्रधानाचार्यों का अकादमिक प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण

क्र० 1	दिनांक 2	पाली 3	व्याख्यान विवरण 4	व्याख्याता का नाम 5
1—	5-2-91	प्रथम	1—पंजीकरण, पूर्व परीक्षण 2—उद्घाटन एवं व्याख्यान	 श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट उप शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद।
		द्वितीय	कार्यानुभव, पाठ्यसहगामी क्रिया-कलाप, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	श्री ज्ञान दत्त पाण्डेय प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद।
2—	6-2-91	प्रथम	शिक्षा के नये आयाम	विचार विमर्श
		द्वितीय	शैक्षिक प्रबन्ध समस्याएँ और समाधान	श्री उमेश दत्त पाण्डेय प्रोफेसर, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद।
3—	7-2-91	प्रथम	प्रतिभाखोज परीक्षा शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे ?	 परिचर्चा एवं विचार विमर्श
		द्वितीय	जनसंख्या शिक्षा, आवश्यकता एवं स्वरूप	परिचर्चा

1	2	3	4	5
4—	8-2-91	प्रथम	जीरो बेस्ट बजटिंग आडिट, आपत्तियाँ एवं लोक लेखा समिति	श्री बी० एस० यादव मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
		द्वितीय	वित्तीय प्रशासन, समस्याएँ एवं समाधान	श्री बच्चा प्रसाद वर्मा उप प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।
5—	9-2-91	प्रथम	माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवा-महत्व एवं क्रियान्वयन तथा प्रतिभा खोज परीक्षा ।	श्री श्याम नारायण राय निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
		द्वितीय	प्रधानाचार्यों के लिए सामान्य वित्तीय निर्देश, पेंशन प्रकरण, निस्तारण, अभिलेखों का रख-रखाव, निष्प्रोज्य वस्तुओं को नीलाम अथवा खारिज करने की प्रक्रिया ।	श्री उमेश दत्त पाण्डेय प्रोफेसर, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।
6—	10-2-91	प्रथम	आपरेशन ब्लैक-बोर्ड, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा	श्री गौरी शंकर मिश्र प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।
		द्वितीय	शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन (जिला योजना एवं पंचवर्षीय योजना)	श्री उदयनारायण मिश्र उप शिक्षा निदेशक शिविर, शिक्षा निदेशालय, 18, पार्क रोड, लखनऊ ।
7—	11-2-91	प्रथम	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं का संचालन ।	श्री पवनेश कुमार, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
		द्वितीय	विद्यालयों के आकस्मिक वीक्षण नामिका निरीक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय ।	परिचर्चा ।

1	2	3	4	5
8—12-2-91		प्रथम	माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध ।	श्री विनय कुमार पाण्डेय अपर शिक्षा निदेशक (मा०) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
		द्वितीय	प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप एवं क्रियान्वयन ।	श्री ज्ञान दत्त पाण्डेय प्राचार्य, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।
9—13-2-91		प्रथम	राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें, प्रणयन प्रकाशन, वितरण, मूल्य निर्धारण एवं सामान्य नियंत्रण	डा० श्री कृष्ण पाठक पाठ्यपुस्तक अधिकारी, 6 माल एवैन्यू, लखनऊ ।
		द्वितीय	शिक्षा में गुणवत्ता विकास के विविध पक्ष एवं कार्यपरक शोध	श्री हरि प्रसाद पाण्डेय निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10—14-2-91		प्रथम	शिक्षा का सार्वजनीकरण संकल्प एवं उपक्रम	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
		द्वितीय	भ्रमण कार्यक्रम	शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
11—15-2-91		प्रथम	प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप तथा भविष्य	डा० गोविन्द सिंह विष्ट अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), शिक्षा निदेशालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
		द्वितीय	भ्रमण कार्यक्रम	शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद ।

1 2	3	4	5
12—16-2-91	प्रथम	दूर शिक्षा की उपदेयता, संचालन एवं उपलब्धि	श्री ए० पी० चौधरी सहायक शिक्षा निदेशक, पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
	प्रथम	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान के स्रोत एवं समुचित उपयोग की व्यवस्था	श्री अशोक गाँगुली अनुसचिव (शिक्षा), उ० प्र० शासन, लखनऊ ।
	द्वितीय	भ्रमण कार्यक्रम	राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ।
13—17-2-91	प्रथम	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा सेवा समाप्ति के नियम	श्री विनोद कुमार अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
	द्वितीय	समापन कार्यक्रम	समवेत प्रतिभागियों द्वारा आख्याओं का प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिक्रियाएँ । मुख्य अतिथि द्वारा आशीर्वचन एवं धन्यवाद ज्ञापन ।

प्रधानों का अकादमिक प्रबन्धकीय, विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण

स्थान :—राजकीय केन्द्रीय अध्ययन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।

पूर्व परीक्षण प्रपत्र

महोदय/महोदया,

आपको 13 दिवसीय अकादमिक एवं प्रबन्धकीय विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया गया है। संस्थान आपके शैक्षिक विचारों और प्राप्त अनुभवों के सम्बन्ध में कुछ जिज्ञासाएँ रखता है। प्राप्त विचार पूर्णतया गोपनीय रखे जायेंगे तथा प्रधानाचार्यों के लाभ और शैक्षिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में उपयोग किया जायगा।

क्र० सं० 1	जिज्ञासा 2	प्रतिक्रिया 3		
1—	नाम प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या—			
2—	विद्यालय का नाम जनपद सहित			
3—	अनुभव (वर्ष माह में)			
	प्रधानाचार्य वर्ष माह	अध्यापन वर्ष माह	निरीक्षण वर्ष माह	अन्य
4—	क्या आप दायित्वों के निर्वहन में कठिनाइयों के समाधान हेतु किसी प्रशिक्षण का अनुभव करते रहे हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक

1	2	3		
5—	क्या आप विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा सेवा समाप्ति के नियमों से भिज्ञ हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
6—	क्या शिक्षक नियोजन, प्रशासन, योजना एवं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के स्थान के बारे में जानकारी रखते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
7—	क्या राजकीय सेवा नियम, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जाँच एवं दण्ड प्रक्रियाओं का पूर्णरूपेण ज्ञान हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
8—	विद्यालयों के निरीक्षणों में जिन तत्वों की जानकारी आवश्यक होती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है।	हाँ	नहीं	आंशिक
9—	क्या माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं के संचालन की पूरी जानकारी आपको है ?	हाँ	नहीं	आंशिक
10—	माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धाराओं उपधाराओं सें आप पूर्णतया दक्ष हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
11—	क्या सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी आपको पहले से है ?	हाँ	नहीं	आंशिक
12—	क्या गोपनीय आख्याओं, व्यक्तिगत पत्रावलियों, सेवापंजिकाओं के रख रखाव एवं आपूर्ति की पूर्ण जानकारी आपको पहले से है ?	हाँ	नहीं	आंशिक
13—	शिक्षा के नये आयाम कौन-कौन हैं ?	1 2 3 4		

1	2	3		
14—	शैक्षिक गुणवत्ता के विकास के लिए क्या अपेक्षित है ?	1 2 3 4		
15—	क्या आप व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम समस्या व समाधान के उपाय के सम्बन्ध में जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
16—	दूर शिक्षा की उपादेयता पर पाँच पंक्ति लिखें ?	1 2 3 4 5		
17—	क्या महिला शिक्षा हेतु शासकीय संकल्प को जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
18—	क्या नवीन शैक्षिक तकनीकी के कार्यक्रमों को विस्तृत रूप में जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
19—	अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप पर पाँच पंक्ति लिखें।	1 2 3 4 5		
20—	क्या शिक्षा सार्वजनीकरण संकल्प एवं उपक्रम के बारे में जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक

1	2	3		
21—	प्रतिभा खोज परीक्षाओं के बारे में पाँच पंक्ति लिखें	1 2 3 4 5		
22—	आपरेशन ब्लैक बोर्ड के सम्बन्ध में पाँच पंक्ति लिखें	1 2 3 4 5		
23—	सतत व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना पर पाँच पंक्ति लिखें।	1 2 3 4 5		
24—	जीरो बेस्ड बजटिंग लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
25—	क्या विभिन्न स्तरीय छात्रवृत्तियाँ, पेंशन, सेवा निवृत्तिक लाभ राष्ट्रीय पुरस्कार अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के बारे में जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक

1	2	3		
26—	क्रम नियमावली व स्टोर परचेज नियमों से परिचित हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
27—	राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रकाशन, प्रणयन, वितरण, मूल्य निर्धारण के बारे में पहले से आप जानते हैं ?	हाँ	नहीं	आंशिक
28—	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभाग कितने हैं ?			
29—	इलाहाबाद में कितने प्रमुख शिक्षा के कार्यालय हैं ?			
30—	अन्य शैक्षिक अधिष्ठान कौन-कौन हैं ?	1 2		

नाम—

पद—

पता—

उपलब्धि बिन्दु :

कार्यशाला की उपलब्धियों में निम्नलिखित प्रस्तुत है :—

(i) विभिन्न शैक्षिक आयामों एवं प्रकरणों के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा से प्रधानाचार्य लाभान्वित हुए।

(ii) विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय तथ्यों पर प्रकाश डालने से विभागीय कठिनाइयों का निवारण हो सका तथा तत्सम्बन्धी जिज्ञासाओं का निवारण हुआ।

(iii) अधिकारियों की चर्चाओं से विवेकानुसार किये जाने वाले शैक्षिक प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के लिए प्रधानाचार्यों के ज्ञान और दक्षता के विकास का अनुभव किया गया।

सुझाव :

विभाग स्तर से—प्रशिक्षण प्रणाली में वर्कशाप विधा को भी अपनाने का सुझाव दिया गया । उदाहरण के तौर पर समय सारणी निर्माण करना, टी० ए० विल बनाना, कैश बुक भरना तथा क्रियात्मक शोध का प्रारूप तैयार करना, शैक्षिक प्रतिष्ठानों की संरचना एवं कार्य पर लिखना आदि ।

प्रतिभागियों के स्तर से—प्रतिभागियों की ओर से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए :—

(1) प्रति वर्ष जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करना ।

(2) शिक्षा संहिता तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका का समस्त संशोधनों सहित संकरण उपलब्ध कराना ।

(3) प्रधानाचार्यों के लिए एक हस्तपुस्तिका तैयार कराना जिसमें सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय नियम तथा अधिनियम संग्रहित हो ।

(4) प्रधानाचार्यों को और अधिक प्रशासनिक अधिकार देना ।

(5) प्रभावी शैक्षिक प्रबन्ध हेतु विद्यालयों को पर्याप्त रूप से मानवीय भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना ।

राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद

उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के प्रोन्नत प्रधानाचार्यों का अकादमिक प्रबन्धकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण का व्यय विवरण

दिनांक 5-2-91 से 17-2-91

व्यय मानक मद	स्वीकृत धन	व्यय की धनराशि
(1) मानदेय समन्वयक 50 x 13	650-00	650-00
(2) मानदेय संयोजक 40 x 13	520-00	520-00
(3) मानदेय सह संयोजक 30 x 13 x 2	780-00	630-00
(4) यात्रा एवं दैनिक भत्तादि 30 x 1000	30000-00	15009-55
(5) प्रासंगिक व्यय	4000-00	3911-00
(6) पारिश्रमिक कार्यालय 20 x 2 x 13	520-00	520-00
(7) पारिश्रमिक परिचारक/स्वीपर 15 x 13 x 3	585-00	585-00
(8) शिष्टाचार 30 x 2 x 13	780-00	780-00
(9) मानदेय की पर्सन 34 x 100	3400-00	1300-00
(10) यात्रा भत्ता की पर्सन	3400-00	——
	44535-00 या 44000-00	23905-00 23905-80

——————

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसकी विशालता को दृष्टिगत करते हुए प्रदेश में शिक्षा विशेष कर माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन एवं इसकी व्यवस्था को प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से समय-समय पर स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा आयोग गठित किये गये। शिक्षा के सुधार हेतु समितियाँ बनीं, गोष्ठियाँ की गयीं। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों के प्रबन्ध एवं मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण माध्यम, शुल्क, अध्यापकों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, शिक्षण आदि में आवश्यकतानुसार शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए परिवर्तन एवं सुधार हेतु विभिन्न अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत विनियमों/नियमों का निर्माण किया गया। शासनादेश भी निर्गत किये गये। इस समय इस स्तर पर शासन तथा निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। निजी प्रबन्धतंत्र के अन्तर्गत दो प्रकार के विद्यालय हैं—एक वो जो शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं तथा दूसरे प्रकार के वे विद्यालय जो शासन से कोई अनुदान नहीं लेते। शासन द्वारा संचालित तथा अनुदानित विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीन निर्मित नियमान्तर्गत कार्य करते हैं जबकि शासन से अनुदान न लेने वाले अँग्रेजी पद्धति के विद्यालय आई० सी० एम० आई० तथा सी० बी० एस० आई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित व्यवस्था एवं मानकों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। व्यवस्थागत एकरूपता की स्थापना के लिए सभी प्रकार के विद्यालयों को **माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए और** उसकी मान्यता के आधार पर ही माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालय राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय गैर सहायता प्राप्त, नगर पालिका/नगर महापालिका/जिला परिषदों (स्थानीय निकायों), रेलवे प्रशासन, आरडीनेन्स फैक्ट्री, कैन्टोमेन्ट बोर्ड, फर्टीलाइजर कारपोरेशन, सीमेन्ट फैक्ट्री एवं विद्युत परिषद् (भारत सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा संचालित) द्वारा संचालित हैं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के पूर्व संयुक्त प्रान्त (आगरा व अवध) में हाईस्कूल तथा इण्टर स्तर की परीक्षाओं को इलाहाबाद विश्वविद्यालय संचालित किया

करता था। हाईस्कूल तथा इण्टर शिक्षा पद्धति के विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने तथा परीक्षाओं के संचालनार्थ यह इष्ट कर समझा गया कि एक परिषद् की स्थापना की जाय। एतदर्थ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना हेतु अधिनियम पारित हुआ जो 1–4–1922 को प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम में समय-समय पर आवश्यकतानुसार सुधार हेतु निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा संशोधन किये गये :—

क्रम संख्या	अधिनियम संख्या	सन्
1	5	1941
2	4	1950
3	35	1958
4	6	1959
5	29	1972
6	26	1975
7	5	1977
8	12	1978
9	1	1981
10	9	1981
11	6	1984
12	18	1987

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

सर्व प्रथम हम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे जिसका ज्ञान शैक्षिक कार्य में रत सभी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों के लिए उपादेय है।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 जिसमें अभी तक अनेक संशोधन किये जा चुके हैं, के अन्तर्गत कुल 1 से 22 निम्न धाराएँ हैं तथा प्रत्येक धारा के अन्तर्गत प्रायः कुछ उप धाराएँ भी हैं :—

प्रत्येक धारा के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार विनियम बनाए गये हैं। विनियमों की कुल संख्या निम्नवत् है :—

अध्याय—एक—1 से 26 तक।

अध्याय—दो—1 से 20 तक।

अध्याय—तीन—1 से 100 तक।

उपर्युक्त अधिनियमों तथा विनियमों के अतिरिक्त कुछ राजाज्ञाएँ तथा विज्ञप्तियाँ भी समय-समय पर निर्गत हुई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 पृथक होने से शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति दण्ड आदि सम्बन्धी कुछ धाराएँ, विनियम तथा राजाज्ञाएँ एवं विज्ञप्तियाँ निष्प्रभावी हो गयी हैं।

धारा—1 के अन्तर्गत—नाम, विस्तार और आरम्भ की स्थिति का वर्णन है।

धारा—2 में बोर्ड, संस्था, केन्द्र, निदेशक, निरीक्षक, अन्तरीक्षक, विहित मान्यता, सम्भागीय उप निदेशक, विनियम, राज्य सरकार, केन्द्र अधीक्षक शब्दों की व्याख्या की गयी है।

धारा—3 में बोर्ड संगठन का उल्लेख है।

धारा—3 (क) में सदस्यों के हटाने की बात है।

धारा—4 में सदस्यों की पदावधि का वर्णन हैं।

धारा—5 में सदस्यों की पदावधि समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति की बात है।

धारा—6 निकाल दी गयी है।

धारा—7 में बोर्ड के अधिकारों का उल्लेख है।

धारा—7 (क) में किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी की मान्यता तथा निरीक्षक द्वारा अनुभाग खोलने की अनुमति देना, 7 (क क) में अंशकालिक अध्यापकों या अनुदेशकों का सेवा योजन एवं 7 (क ख) में यू० पी० एक्ट 24 सन् 1971, यू० पी० एक्ट 5 सन् 1982 में छूट का उल्लेख है।

धारा—7 (ख) डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रति-शोध वर्णित है।

धारा—7 (ग) में संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक की बात है, तथा

धारा—7 (घ) में 7 (ख) एवं 7 (ग) के उल्लंघन करने के लिए शास्ति की व्यवस्था है।

धारा—7 (ङ) में दान के उचित उपयोग की बात है तथा

धारा—8 में कतिपय विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति की बात है।

धारा—9 के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारों का वर्णन है। इसमें 5 उप धाराएँ हैं।

धारा—9 (4) के अनुसार जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो तो बोर्ड के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकता है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार या रचना कर सकती है और तदनुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

धारा—10 के अनुसार सभापति, सचिव एवं बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों की चर्चा है।

धारा—11 में सभापति के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या है जिनमें 4 उप धाराएँ हैं।

धारा—12 के अनुसार सचिव की नियुक्ति, उनके अधिकार एवं कर्तव्य की चर्चा है। इस धारा में 5 उपधाराएँ है।

धारा—13 के अनुसार परिषद् द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति और संगठन की चर्चा है।

धारा—13 (1) के अनुसार पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, परीक्षाफल समिति, मान्यता समिति और वित्त समिति के गठन की चर्चा है।

धारा—14 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा समितियों के प्रतिनिहित अधिकारों के प्रयोग का

वर्णन है। इसमें 14 (क) 1 और 2 की भी व्यवस्था है जिसमें अन्तरीक्षक आदि के लोक सेवक होने की चर्चा की गयी है।

धारा—15 के अनुसार बोर्ड को विनियम बनाने का अधिकार है।

धारा—16 में बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति का उल्लेख है।

धारा—16 (क) में प्रशासन योजना का उल्लेख है। 16 (क) के अन्तर्गत 7 उपधाराएँ हैं, जिनमें प्रशासन योजना को स्पष्ट किया गया है।

(1) संस्था की एक प्रशासन योजना होगी जिसमें प्रबन्ध समिति के गठन की प्रक्रिया का विवरण है।

(2) प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी।

(3) संशोधन पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं।

(4) प्रत्येक संस्था के लिए पृथक प्रबन्ध समिति (जब तक विनियमों में वर्ग विशेष हेतु अन्यथा व्यवस्था नहीं।)

(5) प्रबन्धकीय विवाद–मं० उ० शि० नि० द्वारा जाँच के उपरान्त मान्य, जब तक न्यायालय का अन्यथा निर्देश न हो।

धारा 16—(क) (7) के अनुसार जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के समय कोई विवाद हो तो उसे व्यक्तियों द्वारा, जिनकी सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा ऐसी जाँच करने पर उचित समझा जाय, उसके कार्य-कलापों पर वास्तविक नियन्त्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोगार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक सक्षत अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निर्देश न दें। प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व प्रतिद्वन्दी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

धारा—16 (ख) मान्यता पत्र के आवेदन पत्र के साथ प्रशासन योजना का प्रारूप निदेशक की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायगा।

धारा—16 (ग) निदेशक द्वारा प्रशासन योजना में किसी परिवर्तन का सुझाव।

धारा—16 (ग ग) प्रशासन योजना तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न हो।

धारा—16 (घ) माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा है। जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थाओं के निरीक्षण और दोषों को दूर किये जाने का उल्लेख है।

(1) के अनुसार निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है।

(2) के अनुसार निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने लिए के प्रबन्धाधिकरण को निर्देश दे सकता है।

(3) के अनुसार यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति किसी निर्देश का पालन करने में विफल रही है, विनियमों का संस्था में उल्लंघन हो रहा है या सुव्यवस्थित प्रशासन पर कुप्रभाव है या संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था करने में समिति विफल रही हो या समिति इन संस्थाओं के हित के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया हो या समिति के प्रशासन योजना का प्रारूप धारा—16 (ख) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत न किया हो, तो निदेशक ऐसी संस्था की मान्यता वापस करने के लिए बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा—(4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) के अनुसार जब किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा—(3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे उठाये गये समय के भीतर जैसा निदेशक समय-समय पर अनुमति दे, बताने में विफल रही हो या प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारणों पर विचार करने के पश्चात् निदेशक को समाधाव हो जाय कि उपधारा—(3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ वह उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जावँगे। किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया) है 2 वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। अग्रेसर इसमें प्रतिबन्ध की भी व्यवस्था है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा—(3) के खण्ड (3) या खण्ड (5) में उल्लिखित कारण

विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह 'उक्त' उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बताये कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय ।

(6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा—(5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार के पश्चात् राज्य सरकार को समाधान हो जाय कि उपधारा—(3) के खण्ड (3) या खण्ड (5) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान है वहाँ वह आदेश द्वारा और उन कारणों में जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा—(4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(7) उपधारा—(5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा—(3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनांक को अन्तिम रूप में निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से स्थगित समझी जायगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा—(5) के अधीन जारी की गयी नोटिस उन्मोचित हो जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक को उप-धारा—(3) के खण्ड (3) और (5) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायगी ।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा—(5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए बाद में उपधारा—(6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनांक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(9) प्राधिकृत नियंत्रक को स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने या पारित करने (अनुदान प्राप्ति की शर्तों के रूप में) की शक्ति नहीं है।

(10) सम्पत्ति का प्रबन्ध/नियंत्रण प्रभावी होगा। प्रतिबन्ध यह है कि आय का उपयोग संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) संस्था सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध हेतु निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को निर्देश दे सकता है।

(12) उपधारा—(3) के अन्तर्गत निर्देश के अनुसरण में न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(13) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की प्रदत्त शक्ति पूर्व प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त होगी।

(14) उपधारा—(3) से (13) संविधान में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों की संख्या पर लागू न होगी।

धारा—(16) में ही (घ घ) के अन्तर्गत उपधारा :—

(1) में प्राधिकृत नियंत्रक को प्रबन्ध समिति के अधिकार होंगे।

(2) संस्था की सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज प्राधिकृत नियंत्रक को मिलना चाहिए।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक कब्जा और नियंत्रण हेतु कलेक्टर को आवेदन कर सकता है।

-धारा—16 (ङ) के अन्तर्गत 11 उपधाराओं की व्यवस्था है और यह अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित है। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, 1982 के आ जाने के कारण इसकी उपधारा—1 से 9 के अन्तर्गत प्रधान तथा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की समस्त कार्यवाही आयोग करेगा।

(10) अनियमित नियुक्ति के मामले में संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा अध्यापकों के मामले में निदेशक द्वारा सुनवाई का अवसर देकर नियुक्ति रद्द करेगा।

(11) छः मास तक के लिए सत्र के दौरान अवकाश रिक्ति, मृत्यु, सेवा समाप्ति की

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7715
DOC, No....... 81-09-93
D...

दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति से बिना, चयन समिति का निर्देश लिए की जा सकती है। ऐसी नियुक्ति शिक्षा सत्रान्त तक ही बनी रहेगी।

धारा—16 (ङ ङ) के अन्तर्गत छटनी किये गये कर्मचारियों के आमेलन की स्थिति का उल्लेख है। इस धारा के अन्तर्गत 6 उपधाराओं का उल्लेख किया गया है। आयोग के गठन के बाद यह निष्प्रभावी हो गयी है।

धारा—16 (च) के अन्तर्गत चयन समिति का उल्लेख है। इसमें उपधाराओं का उल्लेख किया गया है। आयोग के गठन के बाद यह धारा निष्प्रभावी हो गयी है।

धारा—16 (च च) के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद का उल्लेख किया गया है और इसके अन्तर्गत भी 6 उपधाराओं का उल्लेख किया गया है।

(1) प्रधान/अध्यापक के चयन हेतु पाँच सदस्यीय समिति होगी।

(2) चयन समिति द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) चयनित व्यक्ति सक्षम अधिकारी (म० उ० शि० नि०/निरीक्षक) के अनुमोदनोपरान्त ही नियुक्त किया जायगा।

(4) चयन का अनुमोदन न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र व्यक्ति को नहीं रोका जायगा।

(5) तीन सप्ताह के अन्दर अनुमोदन के प्रकरणों पर अपील की व्यवस्था।

(6) निदेशक/म० उ० नि० का आदेश अन्तिम होगा।

धारा—16 (च च च)

(1) समिति, प्रधान, अध्यापक, कर्मचारी द्वारा सहायता, कर्तव्यों का पालन कृत्यों का निर्वहन।

(2) उपर्युक्त द्वारा बोर्ड को सहयोग-भवन, फर्नीचर, सम्पत्ति आदि के रूप में।

अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाशर्तें

धारा—16 (छ)

(1) सेवा की शर्तें/विनियमों द्वारा विहित 1 असंगत कार्य शून्य होंगे।

(2) 1 की व्यापकता अप्रभावित रहते हुए विनियमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें, पदोन्नति, दण्ड, निलम्बन, सेवा समाप्ति।

(ख) वेतनक्रम, भुगतान।

(ग) स्थानान्तरण।

(घ) छुट्टी, भविष्य निधि, अन्य लाभ।

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख।

नोट :—सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से (ग) निष्प्रभावी।

(3) पैरा 3 में उल्लिखित अधिकार आयोग में धारा—21 में निहित हो गया है।

(4) 3 के अनुसार निर्णय पर न्यायालय में आपत्ति न की जायगी।

(5) प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित न किये जायेंगे जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में आरोप गम्भीर न हो तथा उसके विरुद्ध कार्यवाहियों में बाधा न उत्पन्न हो अथवा जिसमें नैतिक पतन सन्निहित हो।

(6) निलम्बन की सूचना निर्धारित तिथि के भीतर निरीक्षक को दी जाय।

(7) निलम्बन का आदेश 60 दिन से अधिक हेतु प्रवृत्त न होगा यदि निरीक्षक द्वारा अनुमोदित नहीं है। निरीक्षक का आदेश अन्तिम।

(8) बिना दोष निलम्बन आदेश रद्द।

(9) उप शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष वाली अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा सुनी जायेंगी।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना

धारा—16 (छ छ)

1—कठिनाई निवारण आदेश एक से पांच तक की अवधि 18-7-75 से 30-9-76 तक स्पष्ट रिक्ति पर तदर्थ नियुक्ति मौलिक नियुक्ति मानी जायगी यदि धारा के प्रारम्भ होने तक निरन्तर कार्यरत रहा हो।

2—मौलिक रूप से नियुक्त समझे गये को परिवीक्षा काल पर समझा जायगा।

3—(क) मौलिक नियुक्ति का हकदार नहीं यदि पद पर नियुक्ति पहले ही कर दी गयी।

(ख) मौलिक नियुक्ति का हकदार नहीं है यदि प्रबन्ध समिति के सदस्य/प्राचार्य/प्रधानाचार्य का सम्बन्धी है।

धारा—16 (ज)

(1) 16 (क), 16 (ख), 16 (ग), 16 (घ) की 2 से 13 तथा 16 (ङ), 16 (च), 16 (छ) के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार की उपधारा (1) के उपबन्ध में से कतिपय लागू करने का अधिकार है।

धारा—16 (झ) के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन से प्रदान किये गये समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के जिसका प्रयोग वह बोर्ड के सभापति के रूप में करता है शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो शिक्षा उप निदेशक से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

धारा—17 निकाल दिया गया है।

धारा—18 में समितियों के आकस्मिक रिक्तियों का उल्लेख है।

धारा—19 में यह उल्लेख है कि बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही इस कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ विद्यमान थीं।

धारा—20 में बोर्ड तथा समितियों को उप विधियाँ बनाने का उल्लेख है। इसमें 3 उपधाराएँ हैं।

धारा—21 सद्भावना से किये गये कार्य आदि के लिए संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख हैं।

धारा—22 के अनुसार इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसके किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं दी जायेंगी।

अधिनियम के प्रथम अनुसूची धारा—3 (1) के खण्ड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था दी गयी है।

द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत धारा—16 (छ छ) के सन्दर्भ में समितियों की सूची प्रस्तुत है तथा तृतीय अनुसूची में धारा—16 (ग ग) के सन्दर्भ में सिद्धान्त, जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा, का उल्लेख है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा—18 (ङ), 16 (च) के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यापक संशोधन की दृष्टि से शासन ने अप्रैल 1975 में नियुक्तियों पर रोक लगाई, 7-7-75 से उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा (संशोधन अधिनियम 1975) प्रवृत्त समझा गया। इस अधिनियम की धारा—14 के कतिपय उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए कठिनाई उत्पन्न हुई। अधिनियम की धारा—22 के अन्तर्गत शासन ने उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा कठिनाई दूर करने का आदेश प्रथम 18-8-75, द्वितीय 17-2-76, तृतीय 28-6-76, चतुर्थ 24-9-76, पंचम 27-11-76, षष्टम 21-1-77 तथा सातवाँ 16-8-77 को निर्गत किया। इसके अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों (प्रधानों को छोड़कर) को बाद में इस अधिनियम की धारा—16 (छ छ) द्वारा विनियमित किया गया। पंचम कठिनाई निवारण आदेश के अन्तर्गत उन शिक्षकों को विनियमित किया गया जिनकी नियुक्ति 30-6-75 या उसके पूर्व निरीक्षक की अनुज्ञा से अस्थाई रूप में की गयी थी।

परिषद् के विनियम
भाग—दो (क)
अध्याय—एक
प्रशासन योजना
धारा—16 (क), 16 (ख), 16 (ग)

प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्यों की सूची दी हुई है :—

विनियम

1—8—आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के कर्तव्य एवं कार्य।

9—पद के अतिरिक्त पद से सम्बन्धित अन्य कर्तव्यों एवं कार्यों का भी पालन ;

10—आन्तरिक प्रबन्ध 1 अनुशासन के लिए उत्तरदायी।

(1) तथा,

(2) में विस्तार।

11—वित्तीय मामलों में उत्तरदायी।

12—अध्यापक वर्ग तथा प्रबन्ध समिति के बीच पत्र व्यवहार का माध्यम।

प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य।

13—1 से 6 में विवरण दिया गया है।

प्रशासन की योजना का अनुमोदन

14—(अ) से (औ) तक विवरण।

15 तथा 16 भी प्रशासन योजना से सम्बन्धित है।

17— 26 अध्यापकों हेतु आचार संहिता।

अध्याय—दो

संस्था के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति

धारा—16 (ङ) तथा 16 (च) और 16 (च च)।

1—अर्हताएँ परिशिष्ट (क) में।

2—(1) प्रधान का पद सीधी भर्ती से अस्थायी रिक्ति ज्येष्ठतम से।

(2) (क) उच्चीकरण में प्रधान का पद पदोन्नति द्वारा।

(ख) प्रस्ताव के हेतु।

(ग) प्रस्ताव के साथ जन्म-तिथि, अर्हता, सेवा, पुस्तिका आदि।

(घ) दो सप्ताह के भीतर अनुमोदन।

(ङ) प्रबन्ध समिति की सूचना।

(च) व्यथित व्यक्ति द्वारा निदेशक को अभ्यर्थना दस दिन के भीतर।

(छ) अर्ह नहीं तो अध्यापक नहीं रखा जायगा किन्तु वेतन मान घटाया नहीं जायेगा।

3—30 दिन तक की रिक्त-ज्येष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य किन्तु उच्चतर श्रेणी के वेतन का हकदार नहीं।

4—प्रबन्ध समिति का पदोन्नति प्रस्ताव विहित प्रारूप में।

3—(1) प्रबन्धक समिति द्वारा ज्येष्ठता सूची तैयार किया जाना।

(क), (ख), (ख ख), (ग), (घ), (ङ),

(च) प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति 15 दिन के भीतर, निरीक्षक को अपील कर सकता है।

(छ) एक ही तिथि पर पदोन्नत-ज्येष्ठता के आधार सेवा काल/सेवाकाल बराबर पर ज्येष्ठता का आधार आयु।

(2) ज्येष्ठता सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण।

4—जू० हा० स्कूल को धारा 7 के अन्तर्गत हाईस्कूल की मान्यता/जू० हा० स्कूल के अर्ह स्थायी/अस्थायी नियमों के अनुसार चयनित को हाईस्कूल विनियमित अध्यापक समझा जायेगा। शेष की सेवा समाप्ति।

5—(1) सीधी भर्ती।

(2) (क) 50 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति।

(ख) प्रत्यावर्तन नहीं।

(ग) गणना 1/2 या अधिक को 1 माना जाय।

6—(1) विनियम 5 के अधीन प्रवक्ता श्रेणी की रिक्ति एल० टी० के अर्ह अध्यापक की प्रोन्नति से भरी जाय।

(2) अगली श्रेणी में पदोन्नति हेतु सेवा काल, उपलब्ध अर्हता तथा सत्यनिष्ठा पर विचार।

(3) ज्येष्ठता की वरीयता।

(4) लम्बे अवकाश पर गये अध्यापक की उपेक्षा नहीं। निलम्बित की भी उपेक्षा नहीं, यदि चयन के पूर्व बहाल।

(5) अनुमोदन हेतु निरीक्षक को विवरण के साथ भेजा जाना।

(6) तीन सप्ताह के भीतर अनुमोदन।

(7) व्यथित व्यक्ति द्वारा दो सप्ताह के भीतर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन।

7—(1) सी० टी०, जे० टी० सी०, बी० टी० सी० ग्रेड के अध्यापक सीधी भर्ती से।

(2) जे० टी० सी०, बी० टी० सी० के अर्ह अध्यापक की स्वत: पदोन्नति।

(3) निरीक्षक की आपत्ति।

8—व्यथित अध्यापक द्वारा प्रबन्धक के विरुद्ध निरीक्षक को दो सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन। निरीक्षक द्वारा तीन सप्ताह के भीतर आदेश।

9—(1) छ: मास से अधिक की रिक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति से भरी जाय।

(2) एक मास से छ: मास तक की रिक्ति पदोन्नति से भरी जाय।

(3) (2) हेतु अर्ह अध्यापक न होने पर सीधी भर्ती तदर्थ रूप में।

(4) रिक्तियों की सूचना निरीक्षक को प्रोफार्मा में।

9—(क) पदोन्नति प्राप्त अध्यापक किसी पदोन्नति के कारण रिक्ति की तिथि से ही मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायगा।

अध्याय—तीन

सेवा की शर्तें :

धारा—16 (छ)

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति :—

1—प्रधानाध्यापक, आचार्य तथा अध्यापक-स्पष्ट रिक्त स्थान की पूर्ति 31 जुलाई तक 7 अगस्त तक सम्भावित रिक्ति को 31 अगस्त तक।

2—(1) लिपिक, चतुर्थ श्रेणी की शैक्षिक अर्हता राजकीय के समकक्ष।

(2) प्रधान लिपिक, एवं लिपिक के पदों के 50 प्रतिशत अर्ह लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी से भरे जायँ। 5 बर्ष की मौलिक सेवा कर चुके हों। प्रबन्धक के निर्णय पर दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अपील।

3—शासकीय सेवा से, अन्य मान्यता प्राप्त से विमुक्त को निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्ति नहीं।

4—सम्बन्धियों हेतु निषेध।

5—अध्यापक/प्रधान किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्धक समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।

6—नियुक्तियाँ आवश्यक औपचारिकताओं के साथ होगी।

7—मौलिक नियुक्ति हेतु चुना हुआ व्यक्ति परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

8—(1) परिवीक्षा काल एक वर्ष।

(2) परिवीक्षा अवधि।

(क) कठिनाई निवारण आदेश पंचम 76 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु 27-11-76।

(ख) अन्य हेतु मौलिक नियुक्ति के दिनांक से।

9—स्थायीकरण हेतु हिन्दी की योग्यता।

10—स्थायीकरण हेतु परिवीक्षाकाल में परिश्रम, सत्यनिष्ठा आदि।

11—परिवीक्षा काल की समाप्ति पर स्थायीकरण।

12—परिवीक्षा काल 12 मास तक बढ़ाया जा सकता है।

13—प्रबन्ध समिति द्वारा स्थायीकरण की प्रक्रिया।

14—व्यक्ति, निरीक्षक तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को स्थायीकरण प्रस्ताव की प्रतियाँ।

15—स्थानान्तरण पर परिवीक्षा काल भंग न होगी।

16—20 हटाया गया।

21—अधिवर्ष 60, सेवा विस्तरण—30 जून (सत्रान्त तक) राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत अध्यापक/प्रधानों की दो वर्ष का सेवा विस्तरण, 2-8-84 की राजाज्ञा से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 1 वर्ष का विस्तरण।

22—निकाला गया।

23—शासन के अधीन सेवा से अथवा एक शैक्षिक संस्था से मुक्त लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा निम्न कर्मचारी की नियुक्ति हेतु अन्य मान्यता प्राप्त संस्था के क्षेत्र के मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

सेवा की समाप्ति

24—अल्पकालिक रिक्ति पर नियुक्ति की समाप्ति हेतु पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं।

25—अस्थायी, परिवीक्षाधीन की सेवा एक मास की नोटिस अथवा एक मास का वेतन देकर समाप्ति।

26—*स्थायी की सेवा की समाप्ति*—3 माह की नोटिस अथवा 3 मास का वेतन देकर (छटनी, विषय हटाया जाना, श्रेणी या कक्षा की समाप्ति।

27—सेवा समाप्ति के समय पर ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन अवकाश की दृष्टि में रखना।

28—स्थायी की सेवा समाप्ति हेतु समिति का 2/3 मत, तत्पश्चात्, निरीक्षक की प्रस्ताव।

29—त्यागपत्र, नोटिस अथवा बदले में वेतन देकर, महीनों का प्रतिबन्ध/राजकीय सेवा में जाने हेतु नोटिस अनावश्यक किन्तु त्यागपत्र पर आवश्यक (चतुर्थ वर्ग के लिए नहीं।

30—अनिर्णीत कार्यवाहियों की दशा में त्यागपत्र की अनुमति नहीं।

दण्ड जांच तथा निलम्बन

31—दण्ड हेतु स्वीकृति आवश्यकम अपील की व्यवस्था।

32—(1) परिस्थितियों का उल्लेख तथा परिणामी सेवा विमुक्ति।

(2) अदक्षता, अनधिकृत शिक्षण, अन्यथा के कारण सेवा विमुक्ति।

(3) अवनत किया जाना/ परिलब्धियों में कमी।

33—(1) वेतन वृद्धि रोककर।

(2) अपील।

34—पूर्व सेवा के अभिलेख को ध्यान में रखना।

35—जांच की व्यवस्था।

36—(1) अरोपित करने, स्पष्टीकरण देने आदि की व्यवस्था।

(2) फरार पर लागू नहीं।

(3) छूट दिया जाना, छोड़ा जाना।

37—समिति द्वारा विचार, निरीक्षक, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव प्रेषण, चतुर्थ श्रेणी हेतु नहीं।

38—प्रधान या अध्यापक के निलम्बन की रिपोर्ट निरीक्षक को संलग्न दस्तावेज सहित।

39—आरोप पत्र देने तथा परिषद का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

40—निलम्बित को वेतन का 1/2 निर्वाह भत्ता मकान तदनुसार महंगाई भत्ता।

41—बहाल होने पर वेतन का अन्तर।

42—निलम्बित को बाद में दण्डित किया जा सकता है।

43—समिति द्वारा निर्णय की सूचना प्रेषित किया जाना।

44—(1) लिपिक हेतु प्रस्तावित दण्ड की स्वीकृति के पूर्व कारण बताओ नोटिस।

(2) अपील।

45—निरीक्षक के निर्णय के दो सप्ताह के भीतर कार्यवाही लागू।

वेतनमान तथा वेतन का भुगतान

46—राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृति वेतनमान दिये जायेंगे।

47—वेतन निर्धारण।

48—वेतन निर्धारण।

49—वेतन भुगतान अगले मास की 20वीं तिथि तक यह व्यवस्था सहायता प्राप्त संस्थाओं में वेतन निर्धारण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत की जानी है।

50—नकद या चेक द्वारा। 51—वेतन वृद्धि का संगणन। 52—वेतन वृद्धि का संगणन। 53—दक्षता रोक। 54—दक्षता रोक। 54 (क)—दक्षता रोक।	स्वमूल्यांकन प्रपत्र भरना, तथा अपील की व्यवस्था।

55 से 62—एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण (सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निष्प्रभावी) ।

गृह शिक्षण, अंशकालिक सेवा एवं अन्य लाभ

63—गृह शिक्षण की अनुमति ।

64—दो गृह शिक्षण तक की अनुमति ।

65—गृह शिक्षण की अनुमति प्रधानाध्यापक को नहीं ।

66—पारिश्रमिक मुक्त अथवा साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग आदि कर्तव्यों में व्यवधान नहीं ।

67—शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की अनुमति-कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना ।

68—चरित्र पंजी, सेवा पुस्तिका ।

69—वार्षिक प्रविष्टियाँ ।

70—सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र ।

71—सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

72—प्रतिकूल अनुकूल प्रविष्टियाँ ।

73—प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन ।

74—सेवा पुस्तिका तथा चरित्र पंजी की परिरक्षा ।

75—जाँच की अनुमति, प्रविष्टियाँ प्रमाणित किया जाना ।

76—सेवा पुस्तिका सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को दे दी जाय ।

निर्वाह निधि

77—निर्वाह निधि की योजना कर्मचारियों के लिए लागू ।

78—प्रति मास खाते में प्रबन्ध का अंशदान/कर्मचारी का अंशदान खाते में जमा हो ।

79—31 दिसम्बर तक पास-बुक दिखाने की व्यवस्था ।

80—स्थानान्तरण के समय निर्वाह निधि का स्थानान्तरण ।

81—(क) निर्वाह निधि खाता निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को अग्रसारित किया जाना।

(ख) जाँच के पश्चात् वापस किया जाना।

82—भुगतान हेतु बिल का महालेखाकार को अग्रसारण।

अपील

83 से 85—निरस्त।

86 से 98—अपील तथा निर्णय प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

99—अवकाश के सम्बन्ध में।

100—लिपिक पुस्तकालयाध्यक्ष—नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्ध समिति/चतुर्थ श्रेणी-नियुक्ति प्राधिकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा इसी विनियम में इनसे सम्बन्धित सेवाओं हेतु जिन-जिन विनियमों को प्रभावी या निष्प्रभावी माना गया है उनका उल्लेख है।

अन्य महत्वपूर्ण राजाज्ञाएँ

1—शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त उसके परिवार के सदस्य को शिक्षाणेत्तर पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान-राजाज्ञा सितम्बर 1981 की है।

2—वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता अधिनियम संख्या 18 सन् 1987 तथा शासनादेश दिनांकित 3-8-87 ।

उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा

— ए० पी० चौधरी
सहायक शिक्षा निदेशक (शैक्षिक),
पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ० प्र०,
इलाहाबाद।

किसी भी राष्ट्र के विकास, उसकी प्रगति एवं समृद्धि के लिए मानव संसाधन का विकास अपरिहार्य है, शिक्षा के द्वारा ही मानव संसाधन का विकास सम्भव है, शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। शिक्षा के द्वारा शाश्वत जीवन मूल्यों की सुरक्षा, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा एवं अभिवृद्धि, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा तथा सामाजिक चेतना का संचार किया जा सकता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का नियोजन एवं निर्धारण करता है। भारत सदृश विकासशील एवं विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अपने सभी नागरिकों को शिक्षित करना एक चुनौती हैं, किन्तु देश के सम्यक विकास के लिए इसे स्वीकार करना अनिवार्य भी हैं, अतः 'सर्वसुलभ शिक्षा हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इस पुनीत लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त अधिकाधिक संख्या में नये विद्यालयों की स्थापना का प्रयास किया गया है। परिणाम स्वरूप विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार वर्तमान विद्यालयी शिक्षा विधा ने शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है तथापि शिक्षितों की संख्या के आकड़े इस तथ्य को उजागर करते हैं, कि देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित हैं।

देश में उपलब्ध भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों की अल्पता के कारण जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष नवीन विद्यालयों की संख्या से वृद्धि न होने के कारण यद्यपि अधिसंख्य बालक-बालिका शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, तथापि परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति रूढ़िगत सामाजिक मान्यताएँ एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी विद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक हैं, बालिकाओं को एक वय-वर्ग के उपरान्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजना कई अभिभावक उचित नहीं समझते

जबकि निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए एक वय-वर्ग के उपरान्त बालक आजीविका के संसाधन जुटाने में सहायक बनने लगता है, यह वय-वर्ग माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित है। यहाँ पर यह इंगित करना भी उचित होगा कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में जिस दर से वृद्धि हुयी उसके अनुरूप माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुयी है। इन सभी कारकों के समवेत प्रभाव से माध्यमिक शिक्षा के वय-वर्ग के 80 प्रतिशत छात्र अध्ययन सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था से 'सर्वसुलभता' के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है।

शिक्षा ग्रहण करने का सभी को समान अवसर प्रदान करने, शिक्षा को सर्वसुलभ एवं मितव्ययी बनने के उद्देश्यों की सम्प्राप्ति के लिये एक ऐसी शिक्षा विधा की आवश्यकता अनुभव की गयी जो वर्तमान औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा सके परिणामतः दूरशिक्षा विधा का अभ्युदय हुआ। 'दूरशिक्षा' द्वारा व्यवसायरत, गृहस्थी के कार्यों में संलग्न अववंचित, मुख्य शिक्षाधारा से विरत तथा किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों को अपनी सुविधानुसार शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है, इस प्रकार 'दूरशिक्षा' सर्वसुलभ मितव्ययी एवं एक लचीली शिक्षा विधा है। 'दूरशिक्षा' में मुद्रित पाठ सामग्री के साथ आडियो/वीडियो कैसेट्स का प्रयोग तथा जनसंचार माध्यमों— रेडियो, टेलीविजन आदि का भी उपयोग किया जाता है। मुद्रित पाठ सामग्री का बाहुल्य होने के कारण ही इस विधा को पत्राचार शिक्षा के नाम से अविहित किया जाता है। पत्राचार शिक्षा समय सीमा, स्थान सीमा, आयु सीमा, विद्यालय में प्रवेश एवं उपस्थिति के बन्धन से मुक्त सर्वसुलभ लचीली एवं मितव्ययी शिक्षा प्रणाली है। स्वाधिगम को प्रोत्साहित करने वाली यह शिक्षाप्रणाली समाज के सभी वर्गों को आच्छादित करने की क्षमता से परिपूर्ण है। इस प्रणाली में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनशीलता की विपुल सम्भावनाएँ निहित हैं। फलतः आज पत्राचार शिक्षा अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है।

उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की वर्षानुवर्ष बढ़ती हुयी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा व्यक्तिगत रूप से परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के गुणात्मक तथा संख्यात्मक ह्रासमान परीक्षाफल के परिप्रेक्ष्य में, परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि तथा परीक्षार्थियों की अध्ययनगत कठिनाइयों को दूर करने हेतु स्तरीय पाठ सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने अपने आदेश संख्या मा०/4747/15-7-1 (64)/ 80

दिनांक 17-9-90 द्वारा पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के विनियमों के भाग 2 (ख) के अध्याय 12 में विनियम 35, 36 37 तथा 38 भी तदनुसार बढ़ा दिये गये हैं।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980 में स्थापित पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा सम्प्रति इण्टरमीडिएट परीक्षा सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को पत्राचार द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पत्राचार शिक्षा संस्थान के उद्देश्य :

(1) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का पंजीकरण कर चयनित विषयों में पत्राचार शिक्षा विधा से उनके शिक्षण की व्यवस्था करना।

(2) परीक्षा पद्धति का अभिनवीकरण कर उसे प्रभावी एवं उपयोगी बनाना।

(3) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना।

(4) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि करना।

(5) शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करना तथा व्यवसायरत एवं घर गृहस्थी के कार्यों में लगे तथा मुख्य शिक्षा धारा विरत व्यक्तियों को उनकी सुविधानुसार शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना।

(6) कालान्तर में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के व्यक्तिगत परीक्षा संचालन का दायित्व ग्रहण करना।

वर्तमान में पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर पत्राचार शिक्षा की 2 योजनायें संचालित की जा रही हैं।

(1) पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना।

(2) पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना।

पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना :

माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने के इच्छुक परीक्षार्थी को पंजीकरण केन्द्र पर निर्धारित पंजीकरण एवं पत्राचार शुल्क

देकर अपना पंजीकरण कराना पड़ता हैं। प्रारम्भ में जनपद में स्थित राजकीय इण्टर कालेजों (बालक-बालिका) की पंजीकरण केन्द्र निर्धारित किया गया जिन जनपदों में राजकीय इण्टर कालेज नहीं थे वहाँ चुने हुए अशासकीय इण्टर कालेजों (बालक-बालिका) को पंजीकरण केन्द्र निर्धारित किया गया। इस प्रकार प्रारम्भ में प्रदेश में 112 पंजीकरण केन्द्र निर्धारित किये गये। पत्राचार शिक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अब तहसील स्तर पर भी पंजीकरण केन्द्रों को निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 400 पत्राचार पंजीकरण केन्द्र हैं। इन पंजीकरण केन्द्रों को पत्राचार शिक्षा केन्द्रों की संज्ञा दी गयी है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 1984 में साहित्यिक वर्ग से प्रथम बैच परीक्षा में सम्मिलित हुआ। प्रारम्भ में साहित्यिक वर्ग के 12 विषयों को पत्राचार शिक्षा में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1985 की परीक्षा में साहित्यिक वर्ग के 3 अतिरिक्त विषयों का समावेश कर दिया गया। वर्ष 1987 में साहित्यिक वर्ग के अतिरिक्त रचनात्मक एवं ललितकला वर्ग भी पत्राचार शिक्षा में सम्मिलित कर दिये गये। इस प्रकार रचनात्मक वर्ग के पाँच तथा ललितकला वर्ग के दो कुल पाँच अन्य विषयों का भी समावेश कर दिया गया। वर्ष 1990 की परीक्षाओं से वैज्ञानिक तथा वाणिज्य (प्रथम) वर्ग की भी पत्राचार शिक्षा में सम्मिलित कर दिया है। वैज्ञानिक वर्ग के 5 तथा वाणिज्य (प्रथम) वर्ष के 5 विषयों सहित अब कुल 30 विषय इस योजना में सम्मिलित हैं। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों की संस्थान द्वारा मुद्रित पाठ सामग्री प्रेषित की जाती हैं तथा सम्पर्क शिविरों का आयोजन कर उनकी अध्ययनगत कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है। विज्ञान विषयों में प्रयोगात्मक शिक्षण एवं अभ्यास कार्य की भी व्यवस्था की जाती है।

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण एवं मुद्रण :

पत्राचार शिक्षा में पाठ्य सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण में अध्यापक तथा छात्र के बीच पारस्परिक अन्त:क्रिया होती है। अध्यापक द्वारा छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, छात्र की कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है तथा छात्र अधिगम कीं सम्प्राप्ति के लिए अध्यापक का मार्गदर्शन प्राप्त करता है। जबकि पत्राचार शिक्षा में इसका अभाव रहता है। शिक्षार्थी को पाठ सामग्री का स्वत: अध्ययन करना पड़ता है। पाठ्य सामग्री द्वारा ही शिक्षक के अभाव की पूर्ति भी की जाती है। अत: पाठ्य सामग्री का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह 'टीचर-इनप्रिन्ट' का कार्य करे तथा स्वयंपाठी के अधिगम कौशल को विकसित कर सके।

अतः संस्थान द्वारा प्रत्येक विषय में पाठ सामग्री के निर्माण के लिए द्विस्तरीय विषय समितियों-परामर्शदात्री समिति एवं लेखक मण्डल का गठन किया गया है। विषय समितियों के सदस्य सम्बन्धित विषय के विद्वान एवं विशेषज्ञ तथा अनुभवी अध्यापक होते हैं। विषय समिति के सदस्यों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा की गयी।

प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सुविधाजनक सात इकाइयों में विभाजित कर पाठ्य सामग्री तैयार की जाती है। प्रत्येक इकाई में तीन से पाँच तक पाठ सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक पाठ के अन्त में स्वयं जांच पत्र तथा इकाई के अन्त में उत्तर पत्र होता है जिसके द्वारा स्वयंपाठी अपनी अध्ययन की उपलब्धियों की जाँच कर सकता है। साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारी कर सकता है। पाठ्य सामग्री का समय-समय पर संशोधन एवं परिमार्जन भी किया जाता है।

इस प्रकार निर्मित पाठ्य सामग्री का संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार मुद्रण कराया जाता है।

पंजीकरण की तिथियों का निर्धारण एवं पंजीकरण केन्द्रों को आवेदन पत्रादि का प्रेषण :

संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार स्वयंपाठियों के लिए आगामी वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण केन्द्र पर पंजीकरण कराने की तिथियों का निर्धारण किया जाता है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी इन तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है।

स्वयंपाठियों के पंजीकरण हेतु संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व आवेदन पत्र एवं विवरण पत्रिकाएँ आवश्यक प्रपत्रों सहित मण्डलीय शिक्षाधिकारियों के माध्यम से पंजीकरण केन्द्रों को उपलब्ध कराये जाते हैं। पंजीकरण केन्द्र द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :—

(1) पंजीकरण केन्द्र पंजीकरण शुल्क की धनराशि कोषं पत्र के माध्यम से प्राप्त कर आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराता है।

(2) अभ्यर्थी की अर्हता की जाँच करता है।

(3) अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या आवंटित करता है।

(4) अभ्यर्थी द्वारा उपहृत विषय संयोग की जाँच करता है तथा विषय कोड आवंटित करता है ।

(5) आवेदन पत्र की पंजीकरण शुल्क, पत्राचार शुल्क एवं विज्ञान शुल्क की प्रथम किश्त के कोष पत्र सहित संस्थान को प्रेषित करता है ।

(6) पत्राचार शुल्क एवं विज्ञान शुल्क की द्वितीय किश्त के कोष पत्र संस्थान को प्रेषित करता है ।

(7) अभ्यर्थी के परीक्षा आवेदन पत्र को अनुसरण प्रमाण पत्र सहित माध्यमिक शिक्षा परिषद को प्रेषित करना ।

पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्य सामग्री का प्रेषण :

पत्राचार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संस्थान द्वारा प्रत्येक स्वयंपाठी को उसके द्वारा उपहृत विषयों की पाठ्य सामग्री चार सुविधाजनक किश्तों में प्रेषित की जाती है ।

छात्र उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन :

पाठ्य सामग्री प्राप्ति होने के उपरान्त स्वयंपाठी प्रत्येक इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर पत्रकों की मूल्यांकन हेतु अपने पंजीकरण केन्द्र में जमा करता है तथा पंजीकरण केन्द्र द्वारा उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन कराकर छात्रों को आवश्यक निर्देश सहित उत्तर पत्रक लौटा दिये जाते हैं ।

सम्पर्क शिविर आयोजन :

स्वयंपाठियों की शिक्षक के माध्यम से अपनी अध्ययनगत कठिनाइयों को दूर करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। वे मुद्रित सामग्री से स्वअधिगम द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अत: इस प्रक्रिया में विषय सम्बन्धी कुछ सम्बोध एवं कुछ संकलपनायें अस्पष्ट रह जाती हैं जिसको बोधगम्य किया जाना आवश्यक होता है । अत: संस्थान द्वारा स्वयंपाठियों के लिए पत्राचार शिक्षा केन्द्रों पर प्रतिवर्ष 10-10 दिन के दो सम्पर्क शिविरों का आयोजन किया जाता है । जिनमें विषयाध्यापकों द्वारा कक्षा शिक्षण के माध्यम से स्वयंपाठियों की अध्ययनगत कठिनाइयों का निराकरण कर उन्हें विषय सम्बन्धी अद्यतन जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है । इन शिविरों में स्वयंपाठियों को नवीन शैक्षिक सम्बोधों

जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि से भी परिचित कराया जाता है।

सम्पर्क शिविरों के माध्यम से छात्रों की प्रक्रिया द्वारा प्रेषित पाठ सामग्री की उपादेयता की भी जानकारी प्राप्त होती है और संस्थान द्वारा पाठ्य सामग्री में आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन किया जाता है।

विज्ञान प्रयोगात्मक शिक्षा सम्पर्क शिविर :

विज्ञान वर्ग के स्वयंपाठियों के लिए 10-10 दिन के 4 विज्ञान सम्पर्क शिविर प्रत्येक जनपद के चयनित पत्राचार शिक्षा के उन पंजीकरण केन्द्रों पर जहाँ विज्ञान वर्ग की मान्यता होती है आयोजित किये जाते हैं। जिनमें स्वयंपाठी विषय अध्यापक के निर्देशन में प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य करते हैं।

शैक्षिक प्रशासकों की संगोष्ठी :

पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम को व्यवहारिक एवं प्रभावपूर्ण बनाने तथा योजना के मूल्यांकन हेतु प्रतिवर्ष पत्राचार शिक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्यों तथा जनपदीय एवं मण्डलीय शिक्षा अधिकारियों की दो दिवसीय संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं जिनमें दो-दो मण्डलों के अधिकारीगण सम्मिलित होते हैं। इन संगोष्ठियों में पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन में अनुभूत कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है तथा योजना के भावी कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है।

पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना के शुल्क की दरें :

मद	साहित्यिक, वाणिज्य रचनात्मक एवं ललितकला वर्ग		विज्ञान वर्ग	
	सामान्य	अनुसूचित जाति जन जाति	सामान्य	अनुसूचित जाति जन जाति
पंजीकरण शुल्क	10/-	10/-	10/-	10/-
पत्राचार शिक्षा शुल्क	250/-	150/-	250/-	150/-
विज्ञान शुल्क	—	—	80/-	80/-

पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना :

प्रदेश के अच्छे विद्यालयों विशेषत: राजकीय इण्टर कालेजों में छात्र प्रवेश के वर्षानुवर्ष वृद्धिगत दबाव की समस्या का समाधान करने तथा समाज के दुर्बल वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को किशोरावस्था में ही रोजी-रोटी के धन्धे में लग जाने के कारण पूर्णकालिक कक्षाओं में अध्ययन कर पाने की असमर्थतावश शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं जो शिक्षा का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु शासन के आदेश संख्या 3303/15-7-1 (118)/85 दिनांक 21-6-85 द्वारा यह योजना स्वीकृति की गयी तथा अग्रगामी परि-योजना के रूप में वर्ष 1986-87 से इण्टरमीडिएट स्तर पर साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्गों में यह योजना संचालित की गयी ।

योजनान्तर्गत लिए गये प्रत्येक विद्यालय में साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्गों में जिन विषयों में शिक्षण की मान्यता प्राप्त है उनमें से प्रत्येक वर्ग में 50-50 छात्रों के दो अनुभागों हेतु मान्यता प्राप्त विषयों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की व्यवस्था की जाती है । इस योजना में प्रविष्ट छात्र-छात्राओं की सम्बन्धित विद्यालय का संस्थागत छात्र माना जाता है ।

योजना के शैक्षिक कार्यक्रमों के दो भाग हैं ।

(क) पत्राचार शिक्षा अंश :

इसके अन्तर्गत प्रत्येक छात्र-छात्रा को उसके द्वारा चयनित विषयों की पत्राचार पाठ्य सामग्री संस्थान द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है जिसका अध्ययन कर छात्र विषय की तैयारी करता है । इस प्रकार इस विधा में छात्र के स्वअधिगम पर अधिक बल दिया जाता है ।

(ख) अंशकालिक कक्षा शिक्षण अंश :

योजनान्तर्गत पंजीकृत छात्र-छात्राओं को सम्बन्धित इण्टर कालेज में सप्ताह में 4 दिन सायं अथवा प्रात: काल 40-40 मिनट के 3 वादनों का अंशकालिक कक्षा शिक्षण प्रदान किया जाता है । इस अंशकालिक कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा उपहृत प्रत्येक विषय का शिक्षण तथा प्रयोगात्मक विषयों में प्रयोगात्मक कार्य का अभ्यास कराया जाता है । यह अंशकालिक कक्षा शिक्षण प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 8 माह अगस्त से मार्च तक संचालित किया जाता हैं ।

सतत अध्ययन सम्पर्क योजना का कक्षा शिक्षण पूर्णकालिक कक्षा शिक्षण से सर्वथा

भिन्न है। इसमें छात्र स्वाधिगम हेतु निर्मित पत्राचार पाठ्य सामग्री का अध्ययन कर कक्षा में आते हैं। अतः कक्षा शिक्षण स्वाधिगम का अनुयायी होता है। अध्यापक छात्रों को स्वाध्याय हेतु निर्देश देते हैं, अस्पष्ट सम्बोधों एवं अभिकल्पानाओं को सरलीकृत कर बोधगम्य करते हैं तथा छात्रों की कठिनाई का निराकरण करते हैं। अतः इस योजनान्तर्गत कार्य आधारित शिक्षण प्रविधि तथा समस्या समाधान प्रविधि अपनाकर कक्षा शिक्षण किया जाता है। इस योजना में पंजीकृत छात्र को पत्राचार शिक्षा सामान्य योजनान्तर्गत निर्धारित पंजीकरण तथा पत्राचार शुल्क के अतिरिक्त साहित्यिक एवं वाणिज्य वर्ग में प्रतिमाह 8 माह के लिए 16·65 तथा वैज्ञानिक वर्ग में 19·65 अंशकालिक शिक्षण शुल्क देना होता है।

पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना मैदानी जनपदों के 83 तथा पर्वतीय जनपदों के 16 कुल 99 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक-बालिका) में तथा 12 अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज बालक-बालिका में स्वीकृत है। इस योजनान्तर्गत साहित्यिक वर्ग के 15 वैज्ञानिक वर्ग के 8 तथा वाणिज्य वर्ग के 9 विषयों का समावेश किया गया है।

पत्राचार शिक्षा की उपलब्धियाँ :

(1) पत्राचार शिक्षा सामान्य योजनान्तर्गत पंजीकृत स्वयंपाठियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विवरण निम्नवत हैं :—

परीक्षा वर्ष	पंजीकृत संख्या
1987	10,405
1988	23,000
1989	18,000
1990	50,000
1991	52,951 (अभी 34 पंजीकरण केन्द्रों से संख्या उपलब्ध होनी है।)

परीक्षाफल :

पत्राचार शिक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की तुलना में अधिक रहा है। विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल	पत्राचार में पंजीकृत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल
1987	52·07	69·83
1988	55·08	74
1989	51·52	72

(3) पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन योजना में पंजीकृत छात्रों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है, विवरण निम्नवत हैं :—

वर्ष	पंजीकृत छात्र संख्या
1986–87	2,145
1987–88	5,455
1988–89	5,678
1989–90	7,827
1990–91	8,014

सतत अध्ययन सम्पर्क योजना में पंजीकृत छात्रों का वर्ष 1988 और 1989 का परीक्षाफल क्रमशः 74 प्रतिशत तथा 73·8 प्रतिशत रहा। जबकि सामान्य संस्थागत परीक्षार्थियों का उक्त वर्षों का परीक्षाफल क्रमशः 73·89 तथा 68 प्रतिशत रहा।

संस्थान के प्रकाशन

संस्थान द्वारा नियमित रूप से वार्षिक पत्रिका आयाम का प्रकाशन कराया जाता

है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर विचार पत्रों, निर्देशिकाओं तथा संस्थान के कार्यवृत्ति पर आधारित प्रपत्रों का प्रकाशन भी कराया जाता है ।

भाषा योजनायें :

आठवीं पंचवर्षीय योजना में पत्राचार सामान्य शिक्षा योजना को हाईस्कूल स्तर पर भी लागू करने तथा पत्राचार शिक्षा संस्थान के अभिनवीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के माध्यम से इन्टीग्रेटेड मल्टीमीडिया, पत्राचार पाठ्य सामग्री के डिजाइनिंग उत्पादन एवं वितरण का कार्यक्रम संचालित करने तथा पंजीकरण केन्द्रों को पत्राचार शिक्षा संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद ।

1—प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का यह आशय है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो जाय ।

प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का होना आवश्यक है :—

(1) वय वर्ग 6 से 11 के लिए प्राथमिक विद्यालयों का व्यवस्था ।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में वय वर्ग 6 से 11 के बच्चों का नामांकन ।

(3) नामांकित बच्चों को विद्यालय में बने रहने हेतु प्रयास ।

(4) प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को न्यूनतम स्तर की अधिगम की जानकारी ।

2—शिक्षा का विकास :

निम्नलिखित सारिणी से वर्ष 1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति स्पष्ट होती है :—

सारिणी

सन् 1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में वृद्धि :

संस्थायें	वर्ष				
	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1987-88
प्राथमिक	209671	330399	408387	485534	543677

उच्च प्राथमिक	13596	59663	90621	116447	141014
माध्यमिक	7288	17257	36738	51594	66857
महाविद्यालय	498	1043	2598	3425	4329
व्यावसायिक	155	696	2398	727	876
विश्वविद्यालय	27	45	82	110	142

निम्नलिखित सारिणी से उ० प्र० में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आधारभूत आंकड़े की स्थिति स्पष्ट होती है।

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आधारभूत आंकड़े

मद	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	नोट
1—विद्यालय संख्या	74275	14549	
2—छात्र संख्या (हजार में)			
(क) बालक	8687	3029	
(ख) बालिका	4809	1120	
	योग 13496	4149	
अध्यापक संख्या	261,000	95,000	
पुरुष	56		
महिला	10		
4—प्रदेश में भवनहीन विद्यालयों की स्थिति			
(क) कुल भवनहीन	9875	1267	
(ख) भारत सरकार के एवार्ड से निर्मित होने वाले भवन	7734	—	
(ग) शेष भवनहीन विद्यालय	2141	1267	

(घ) क्षतिग्रस्त होने वाले भवनों का निर्माण	750	145
कुल भवनों की संख्या जिनका निर्माण कराया जाना है	2891	1412
नगरीय क्षेत्र के भवन-हीन विद्यालय	2549	—
5—राजकीय दीक्षा विद्यालयों की संख्या		
पुरुष	65	
महिला	56	
योग	121	

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना वर्ष 1990-91 में क्रियान्वित की जा रही है :—

1—आवर्तक योजनायें निम्नलिखित है :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू० बे० स्कूल खोलने हेतु अनुदान।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के सी० बे० स्कूल खोलने हेतु अनुदान।

(3) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कक्षा 6 से 8 के बालकों को 30 रुपया तथा बालिकाओं को 40 रुपया प्रतिमास की दर से योग्यता छात्रवृत्ति।

(4) असहायिक मान्यता प्राप्त सी० बे० स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान।

(5) अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान।

(6) नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वय वर्ग 6 से 14 के बच्चों के लिए अंककालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान।

2—अनावर्तक योजनायें :

(1) जू० बे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार, विज्ञान सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान।

(2) सी० बे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार, विज्ञान सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर/क्षतिग्रस्त जू० बे० स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान ।

(4) ग्रामीण/नगर क्षेत्र के सी० बे० स्कूलों के भवन मरम्मत/निर्माणार्थ अनुदान ।

(5) बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार ।

(7) खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान ।

(7) प्रारम्भिक विद्यालयों में बालचर कार्यक्रम ।

3—पूंजीगत योजनायें :

(1) राजकीय सी० बे० स्कूलों के भवन एवं छात्रावास का निर्माण (चालू कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नये कार्य प्रस्तावित नहीं किये जायेंगे) ।

(2) जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण ।

उपर्युक्त शैक्षिक विश्लेषण जानने के पश्चात यह आवश्यक है कि इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि कितने छात्रों की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों में हमें करनी है । वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 13496000 बच्चें प्राथमिक पाठशालाओं में अध्ययन रत हैं । केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था वर्ष 1988 के सन्दर्भ में वर्ष 1985 तक उत्तर प्रदेश में जनसंख्य 14980000 होने की सम्भावना है । जिसमें से 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 19800000 होगी । यदि 1900000 में से 13400000 घटा दिया जाय तो हमारी आवश्यकता यह होगी कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6400000 बच्चों के लिए विद्यालयों के खोलने की अध्यापकों को रखने की तथा इन्हें पढ़ाने की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से की जाय ।

———

माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन व परामर्श सेवा-आवश्यकता और क्रियान्वयन

श्याम नारायण राय
निदेशक,
मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग
(मनोविज्ञानशाला),
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

1—निर्देशन व परामर्श : एक परिचय :

1.0 शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सम्यक रूप से विकास कर उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएँ व सीमाएँ होती हैं साथ ही उसकी व उसके परिवार की उसके प्रति कुछ अपेक्षाएँ होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार विकास कर सके और अपनी अपेक्षाओं के अनुसार कुछ बन सके, इसके लिए निर्देशन व परामर्श पर पर्याप्त बल है।

1.1 वस्तुतः निर्देशन व्यक्ति की सहायता करने की वह प्रक्रिया है जिसके व्यक्ति शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक तथा सामुदायिक सेवा की मानवीय प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में चयन करता है, तैयारी करता है, प्रवेश करता है और प्रगति करता है। "ए मैनुअल ऑफ एडुकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेंस" (1957) नामक पुस्तिका में, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुई थी, निर्देशन के स्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है......

> "Guidance is the process of assisting the individual to cheet prepare for, enter upon and progress in the course of according pertaining to the educational, vocational, recreational and community service group of human activities",
>
> (A Manual of Educational and Vocational Guidance : Ministry and Education, Govt. of India, 1957).

1.2 एमरी स्टूप्स ने निर्देशन को व्यक्ति की सहायता करने की एक सतत प्रक्रिया मानी है। उनका कहना है कि इसके द्वारा व्यक्ति व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिक से अधिक लाभदायी दिशा में अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करता है।

> "Guidance is a continuous process of helping the individual to maximum of his capacities in the direction most benefit to himself and to the society."
>
> —(Emery Stoops)

इस प्रकार "निर्देशन" को स्वज्ञान (Self-knowledge) और स्वनिर्देशन (Self-direction) प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक शिरले (Shirley) ने बड़े अच्छे शब्दों में इसकी व्याख्या की है.........

> "Guidance may be defined as helping John to see through himself in order to see himself through".
>
> —(Shirley)

1.3 उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्देशन का उद्देश्य बालक-बालिकाओं को उनकी योग्यताओं, अयोग्यताओं, क्षमताओं और सीमाओं की जानकारी कराना, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों का अधिकतम विकास करना, वातावरण की दशाओं से परिचित कराना तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता करना, अपना उत्तरदायित्व संभालने के योग्य बनाना, समाज में उपलब्ध उन अवसरों की जानकारी प्राप्त कराना जिनके योग्य बालक या बालिका है। साथ ही उपयुक्त अवसर के चयन में सहायता करना और जीवन की कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्वक चयन करने, समायोजन करने तथा समस्याओं को हल करने के योग्य बनाना है।

इस प्रकार निर्देशन व्यक्ति में निहित सम्भावनाओं के अनुसार उसके पूर्ण विकास पर बल देता है। इस प्रक्रिया का सम्बन्ध जीवन से है और जीवन में व्यक्ति का विकास औपचारिक व अनौपचारिक (Formal & Informal) दोनों प्रकार के सम्पर्कों पर आश्रित है। इसलिए निर्देशन भी दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक निर्देशन विद्यालय के अन्दर प्रदान की जाने वाली निर्देशन सेवा व समाज सेवी संगठनों तथा व्यावसायिक स्तर पर संगठित निर्देशन सेवाओं के द्वारा प्राप्त होता है जबकि अनौपचारिक निर्देशन व्यक्ति अपने मित्रों व सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त करता है।

1.4 परामर्श : निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। परामर्श में विभिन्न विधियों द्वारा व्यक्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। इन विधियों में प्रमुख हैं—विद्यालय की विभिन्न स्थितियों में उपबोध्य (कौंसिली) का निरीक्षण, घर पर मिलना, स्वास्थ्य परीक्षा, परीक्षण व मूल्यांकन तथा साक्षात्कार आदि। सभी विधियों का उद्देश्य एक है—उपबोध्य को जितनी गहराई

से सम्भव हो समझना । परामर्श का केन्द्र बिन्दु विशिष्ट व्यक्ति है अस्तु उसके विकास में आये हुए अवरोधों को जानना और उन्हें दूर करने में सहायक होना "परामर्श" का प्रमुख उद्देश्य है । वास्तव में परामर्श निर्देशन का पूरक है । जो अंथोनी, हंफ्रीजव आर्थर ई० ट्रेक्सलर ने अपनी पुस्तक "गाइडेंस सर्विस" (1954) में लिखा है.........

> "The term guidance and councelling are not synonymous. Guidance includes councelling. In the process known as councelling, testing and interviewing are parts or tools".
>
> (J. Anthony, Humphreys & Arthur E. Traxler : Guidance Services 1954)

2—निर्देशन व शिक्षा :

2.0 शिक्षा व निर्देशन परस्पर सम्बन्धित हैं । शिक्षा को प्रमुख रूप से तीन-तीन धाराओं—व्यक्तिगत परिवर्तन की एक प्रक्रिया (The process of individual change) निर्देश के रूप में (As Instruction) और समाजीकरण के रूप में (As Socialization) में विभक्त कर समझा जा सकता है । जब शिक्षा को व्यक्तिगत परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है तो निर्देशन की बात ही समाप्त हो जाती है क्योंकि इस मत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपना शिक्षण है, उसके अनुभवों को न तो कोई बाँट सकता है और न उसकी इच्छा के विरुद्ध उनमें कोई दूसरा परिवर्तन या संशोधन ही कर सकता है । जब हम शिक्षा की निर्देश के रूप में लेते है तो शिक्षक ही शिक्षा का केन्द्र बन जाता है और यहाँ निर्देशन का तत्व उपस्थित होता है । शिक्षा को जब समाजीकरण के रूप में लिया जाता है तो निर्देशन शिक्षा के सहभागी के रूप में हमारे सामने आता है । यही कारण है कि शिक्षा व निर्देशन की सह-कार्यात्मकता को विकसित और आधुनिक प्रगतिशील समाजों की एक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है ।

2.0 संक्षेप में शिक्षा और निर्देशन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं । शिक्षा का उद्देश्य है—व्यक्ति में

निहित सामर्थ्य सीमा में उसका सर्वांगीण विकास करना और निर्देशन भी इसी लक्ष्य को लेकर चलता है । निर्देशन प्रक्रिया सतत संचरणशील प्रक्रिया है । व्यक्ति की सर्वतोमुखी समस्याओं तक निर्देशन का विस्तार है, उसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी जीवन की समग्र परिधि तक जाता है ।

3—निर्देशन की आवश्यकता :

3.0 शिक्षा और निर्देशन के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए हमने देखा कि समाज का निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों के यथेष्ट विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है । विज्ञान व तकनीकी विकास में जीवन और

संस्कृति, व्यवसाय व धर्म सभी क्षेत्रों में मानदण्ड बदल दिये हैं : अस्तु निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति व समाज दोनों दृष्टियों से पहले से कहीं अधिक है। परिणामस्वरूप निर्देशन की आवश्यकता का विवेचन समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से करना आवश्यक है।

3.1 समाज आज अत्यन्त शीघ्रता से बदल रहा है। बदलाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ विज्ञान के बढ़ते चरण, औद्योगीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या, सांस्कृतिक सम्पर्क आदि महत्वपूर्ण घटक हैं जो निर्देशन की आवश्यकता और महत्व को बढ़ा रहे हैं। इसके प्रमुख आधारों में व्यक्ति के मूलभूत महत्व की स्वीकृति (The acceptance of the fundamental worth of the individual), मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग के उसके अपव्यय को रोकना (Proper utilization of human capacity and its conservation), यांत्रिक सभ्यता के विकास के कारण तथा सामाजिक आवश्यकताओं का जटिल होना (The increasing complex of social demands due to civilization based on machinary), विज्ञान की उन्नति से समाज के बदलते मानदण्ड और उससे उत्पन्न नयी परिस्थितियाँ (Changing pattern of society due to progress of siencess and new circumatances), कार्यों और सेवाओं में विशेषीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति (The tendency of specialisation of dunction and services), उचित नियोजन•की आवश्यकता (The importance of right placement) महिलाओं के लिए. रोजगार की आवश्यकता (The need of employment for women) और।शिक्षा-संस्थाओं में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या (The increasing number of students in educational institutions) लिए जा सकते हैं।

3.2 निर्देशन के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार :—वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व (The importance of indivdual difference) एक ही व्यक्ति को विभिन्न विषयों व क्षेत्रों में प्रगति सम्बन्धी भिन्नता (The difference in the progress of the same individual in various subjects and fields), व्यक्ति को सन्तोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता (The need of proper adjustment of the individual in society for his satisfaction), व्यक्ति की भावात्मक समस्याएँ (The emotional problems of the individual) और व्यक्ति के उचित विकास की आवश्यकता (The need of proper development of personality) प्रमुख रूप से है।

4—माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा :

4.0 यों तो सभी स्तरों पर निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता है परन्तु माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए निर्देशन सेवा का क्षेत्र प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अध्यापक चूंकि विषयवार कक्षाओं को पढ़ाते हैं और उनका अधिक

सम्पर्क विद्यार्थियों से नहीं हो पाता। अतएव इस स्तर पर विशिष्टीकृत कर्मचारियों की सेवा की आवश्यकता अधिक पड़ती है। छात्रों की शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक व निजी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन करने के लिए अधिक व्यवस्थित व व्यापक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।

4.1 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं.........

× विषयों के चयन के लिए।

× विद्यालयों के क्रिया-कलापों और विद्यालय के जीवन से परिचय के लिए।

× विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएँ।

× पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाप।

× छात्रों की प्रगति का व्यक्तिगत लेखा जोखा रखना।

× विद्यालय व घर के सदस्यों से विद्यार्थी निर्देशव में सहायता प्राप्त करना।

× अध्यापक व निर्देशन सेवा के कार्यकर्ताओं में सहयोग।

5--निर्देशन सेवा : वर्तमान स्थिति व अपेक्षा :

5.0 भारत में यों तो निर्देशन की परम्परा पुरानी रही है कि शिक्षा समाप्त होने के उपरान्त गुरु दीक्षांत उपदेश दिया करता था। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है—सत्यंवद्, धर्मंचर......आदि। पर आधुनिक रूप में भारत में निर्देशन का इतिहास वीसवीं शताब्दी के चतुर्थ दशक से माना जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इसकी विशेष आवश्यकता महसूस की गई। सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन् 1915 में खुले व्यावहारिक मनोविज्ञान शाखा के अन्तर्गत 1938 में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा खोली गई। बम्बई में कई निजी अभिकरण स्वतन्त्रता से पूर्व निर्देशन का कार्य करते थे। बाद में यह जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार ने ले ली। वर्ष 1947 में आचार्य नरेन्द्र देव समिति की संस्तुतियों के आधार पर ब्यूरो ऑफ साइकॉलाजी, यू० पी०, इलाहाबाद (मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०) की स्थापना की गई और वर्ष 1951 में पांच मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, बरेली व मेरठ स्थापित हुए।

5.1 वर्ष 1153 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) ने शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के विस्तार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दी। उन्होंने प्रत्येक शिक्षा-संस्था में कैरियर मास्टर की नियुक्ति की अनुशंसा की। इसी के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय शिक्षा व व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना (1954), दिल्ली में की गयी। उड़ीसा (1955), राजस्थान (1955), मध्य-प्रदेश (1955), आसाम, (1957), आंध्र प्रदेश (1957), मैसूर व केरल (1957) आदि राज्यों में भी निर्देशन ब्यूरो खुले।

5.2 भारतीय शिक्षा आयोग (1164–66) ने निर्देशन व परामर्श सेवा के सम्बन्ध में विस्तार से अनुशंसाएँ की। आयोग ने लघु कार्यक्रम चलाकर वृत्तिक प्रशिक्षण (Professional Training) देने पर बल दिया। इन आयोगों और विभिन्न समितियों की संस्तुतियों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर निर्देशन कार्यक्रमों के संचालन तथा निर्देशन सेवाओं के विकास के सन्दर्भ में अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ एडुकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेंस की स्थापना नयी दिल्ली में 1954 में हुई थी। सम्प्रति इसे एन० सी० ई० आर० टी० के डिपार्टमेंट ऑफ सायकॉलाजी एण्ड कौंसिलिंग में संविलीन कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक व व्यावसायिक ब्यूरो के अतिरिक्त अखिल भारतीय शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन संघ भी कार्यरत है जिसके द्वारा जनरल वोकेशनल एण्ड एडूकेशनल गाइडेंस निकाली जाती है। केन्द्रीय श्रम, पुनर्वास व नियोजन मंत्रालय के अन्तर्गत पुनर्वास और नियोजन निदेशालय भी कार्य कर रहा है। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय, प्रकाशन विभाग तथा कुछ अन्य संस्थाएँ भी निर्देशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती है।

5.3 जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है : उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला (नव नामांकन : मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश) की स्थापना वर्ष 1947 में हुई। इसका उद्देश्य विद्यालय जाने वाले वय-वर्ग के बच्चों की यथेष्ट तथा सक्षम मनोवैज्ञानिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है। आज राज्य स्तर पर निर्देशन, शोध प्रशिक्षण व चयन के बहुआयामी कार्यों का सम्पादन मनोविज्ञानशाला अपने 23 तकनीकी अधिकारियों के सहयोग से कर रहा है। मण्डल स्तर पर लनखऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, झाँसी, आगरा, मेरठ, बरेली, नैनीताल व पौड़ी में मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं। इनमें प्रत्येक में 3.3 तकनीकी अधिकारी नियुक्त (प्रावधानित) हैं। विद्यालय स्तर पर अभी केवल रा० इ० का०, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व आगरा में स्कूल काउंसलर के पद प्रवक्ता के वेतनक्रम में सृजित हैं।

5.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने निर्देशन सेवा पर अलग से यद्यपि कोई संकल्प निरूपित नहीं किया है परन्तु उसके प्रत्येक शैक्षिक संकल्प में निर्देशन का तत्व विद्यमान है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पी० ओ० ए०) में हर माध्यमिक विद्यालय में "गइडेंस

कारनर" की स्थापना की बात सुझाई गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत में निर्देशन अभी भी अपनी शिशु अवस्था में है। इसकी धीमी प्रगति के अनेक कारण हैं : जैसे—अप्रशिक्षित अध्यापक, शिक्षकों पर अति कार्यभार, प्रामाणिक परीक्षण का अभाव, अशिक्षित व रूढ़िवादी मां-बाप/अभिभावक, विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम की अनुपलब्धता, एक राष्ट्रभाषा का अभाव, विद्यालयों की दयनीय आर्थिक व्यवस्था, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, जाति प्रथा, सूचनाओं के संकलन व विश्लेषण करने के व्यवस्थित संगठन का अभाव, शिक्षा में अनुसन्धान का अभाव के ऊपर व सबसे बड़ी समस्या है—विद्यालयों में निर्देशन के प्रति उचित दृष्टिकोण व अभिवृत्ति का अभाव।

5.5 आज प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन का कार्य अपनी सीमाओं व परिस्थितियों में भी पूर्णत: नहीं तो अंशत: किया जा सकता है। प्रार्थना सभा पर, सूचना-पट्ट के माध्यम से, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को उनके भावी जीवन के व्यवसायों के विषय में जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न छात्र-वृत्तियों व परीक्षाओं (एकीकृत छात्रवृत्ति शिक्षा, प्रतिभा खोज परीक्षा, भारत सरकार की आवासीय छात्रवृत्ति परीक्षा आदि) की जानकारी दी जा सकती है। इसी प्रकार एक रुचि लेने वाले अध्यापक के नेतृत्व में "गाइडेंस कारनर" की स्थापना की जा सकती है। मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों व मनोविज्ञानशाला से इस दिशा में वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ

(1) Mathecwson, R. H., Guidance Policy and Practice, 3rd ed ; New York : Harper & Row (1962).

(2) Thomson, A. S., Personality Dynamics and Vocational Counselling, Personal and Guidance Journal, (1960) 2 vol. 28 pp. 350--357.

(3) Pal S. K. Guidance in Many Lands : Educational Vocational & Central Book Depot, Allahabad (1968) :

(4) जायसवाल : डा० सीताराम : शिक्षा में निर्देशन और परामर्श : विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा : (1987)

(5) वर्मा एवं उपाध्याय : शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन : विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा (1986)

(6) तिवारी ए० एन० : शिक्षा मनोविज्ञान : भाग—2 : उत्तर प्रदेश ग्रन्थ अकादमी (1974) अध्याय—26

(7) प्रदेश में मनोवैज्ञानिक सेवा : एक परिचय : मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०—इलाहाबाद (1985)।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा : एक विहंगम दृष्टि

पूर्व पीठिका :

प्रतिभावान व्यक्ति किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि हुआ करते हैं। ऐसे मेधावी व्यक्तियों के उपयुक्त विकास के लिए यह आवश्यक है कि इनकी पहचान यथासम्भव से कम आयु में कर ली जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में देश के प्रतिभाशाली विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें समुचित वित्तीय सहायता द्वारा विज्ञान की उच्चतर शिक्षा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा (National science talent Search Examination) का शुभारम्भ किया गया था। अग्रगामी प्रयोजना के रूप में सर्व प्रथम इसे केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया और छात्रवृत्तियों की संख्या 10 नियत की गयी। वर्ष 1964 में इस योजना का विस्तार कर इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर देय छात्रवृत्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर 350 कर दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा योजना में (1) विज्ञान अभिरुचि परीक्षण, (2) निबन्ध परीक्षा, (3) विज्ञान विषय पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्राप्तांकों के आधार पर चयनित छात्रों के), (4) साक्षात्कार के आधार पर योग्यताक्रम में निर्धारित छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी। इस परीक्षा में कक्षा 10 अथवा कक्षा 11 के स्तर पर विज्ञान विषयों में 55% या उससे अधिक अंक पाने वाले कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे। 1969 से विज्ञान अभिरुचि प्रश्नपत्र विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित कराकर परीक्षाओं में प्रयुक्त किये गये। कृषि विज्ञान को भी आधारिक विज्ञान के साथ सम्मिलित किया गया।

वर्ष 1974 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी द्वारा इस योजना के मूल्यांकन हेतु एक समीक्षा समिति की नियुक्ति की गयी। समिति की संस्तुति के अनुसार वर्ष 1977 से योजना का नाम 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा' रखा गया तथा परीक्षा योजना में से निबन्ध एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समाप्त कर मूल्यांकन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार रखा गया। लिखित परीक्षा के भाग—1 में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण भाग—2 में विभिन्न विषयों में ज्ञान, बोध एवं ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण हेतु शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होता है।

वर्ष 1978 में इस योजना को कक्षा 10 के स्तर की ही भाँति कक्षा 12 के स्तर पर भी लागू की गयी। इस प्रकार 1982 तक इस पद्धति द्वारा तीनों स्तरों अर्थात

कक्षा 10, 11, 12 पर छात्रवृत्तियाँ दी गयी। उस समय तक छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 550 (500 सामान्य + 50 आरक्षित) थी जिसे पुनः वर्ष 1983 में बढ़ाकर 750 (680 सामान्य + 70 आरक्षित) कर दिया गया है।

विकेन्द्रीकृत योजना का प्रारम्भ :

वर्ष 1983 तक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन सम्पूर्ण देश में एन० सी० ई० आर टी० द्वारा एक साथ एक ही तिथि को किया जाता था। योजना के क्रमिक विस्तार के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण सम्पूर्ण देश में एक ही समय में एक साथ परीक्षा के आयोजन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ती गयी। अतः 1984 में इस योजना का विकेन्द्रीकरण करके लिखित परीक्षा को दो स्तरों में विभाजित कर दिया गया। (1) राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा (2) राष्ट्रीय स्तर की मुख्य परीक्षा। वर्ष 1974 से यह परीक्षा केवल कक्षा 10 के स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए सीमित कर दी गयी है। जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा :

राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा में वे सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो सम्बन्धित शिक्षा सत्र में किसी केन्द्रीय/राजकीय/सहायता प्राप्त/प्राइवेट अथवा पब्लिक विद्यालय की कक्षा 10 में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत एवं अध्ययनरत हों तथा कक्षा 9 की परीक्षा 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के छात्रों के लिए 44 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंको से उत्तीर्ण किया है।

प्रदेश के सभी जिलों के लिए जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षा केन्द्र होता है। जनपद के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अपनी कोड संख्या होती है जो परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक से पहले दो अंकों में अंकित होती है।

राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए अर्ह एवं इच्छुक छात्र-छात्रायें निर्धारित आवेदन-पत्र अथवा आवेदन-पत्र के प्रारूप अपने मण्डल के मण्डलीय मनोवैज्ञानिक जो कि सम्प्रति लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, नैनीताल, फैजाबाद, मेरठ, पौड़ी, वाराणसी जनपद में मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत हैं या परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक या मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रित आवेदन-पत्र उपलब्ध न होने पर आवेदन-पत्र प्रारूप को स्वच्छ एवं स्पष्ट, चक्रमुद्रित, टंकित अथवा हस्तलिपि में लिखकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। परीक्षार्थी हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से कोई एक भाषा माध्यम के रूप में चुन सकता है।

जनपदों के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक के पास पूर्ण रूप से भरे हुए तथा जिस विद्यालय में अध्ययनरत हो के प्रधानाचार्य द्वारा फोटोग्राफ प्रमाणित तथा अन्य प्रमाण-पत्र के हस्ताक्षरित एक प्रति में निर्धारित तिथि तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

परीक्षा केन्द्र पर प्राप्त हुए परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों के जाँच का कार्य केन्द्र व्यवस्थापक के द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र व्यवस्थापक ही अनुक्रमांक आवंटित कर अर्ह छात्र-छात्राओं को प्रवेश-पत्र भी निर्गत करते हैं।

निर्धारित तिथि पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के केन्द्रों पर प्रथम चयन परीक्षायें (1) सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा (जी० एम० ए० टी०), (2) शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (एस० ए० टी०) का प्रश्न-पत्र $1\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$ घण्टे का तथा 100 अधिकतम अंक का होता है। प्रश्नों के सही विकल्प को अलग से दिये गये उत्तर-पत्र पर अंकित करना होता है। द्वितीय प्रश्न-पत्र शैक्षिक अभिरुचि में 8 विषय (1) भौतिक विज्ञान, (2) रसायन विज्ञान, (3) गणित, (4) जीवविज्ञान, (5) इतिहास, (6) भूगोल, (7) नागरिक शास्त्र, (8) अर्थशास्त्र के होते हैं। परीक्षार्थियों को इन आठ विषयों में से किन्हीं चार विषयों का चयन करना होता है। राज्य स्तरीय (प्रथम चयन) परीक्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश से 500 छात्र चयनित होकर एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए लिआजा आफिसर का दायित्व निदेशक मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद को दिया गया है।

प्रथम स्तरीय चयन परीक्षा में सफल एवं मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह छात्र-छात्राओं का परीक्षाफल प्रदेश के प्रमुख हिन्दी/अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता हैं।

द्वितीय परीक्षा के पूर्व छात्र-छात्राओं को सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा तथा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा विषयों का अनुभवी विषय-विशेषज्ञों के निर्देशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के मण्डल स्तर पर स्थापित मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों पर विद्यामंदिर इण्टर कालेज, सेक्टर—1 भेल हरिद्वार, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद तथा राजकीय इण्टर कालेज, देहरादून, राजकीय जुबली इण्टर कालेज, लखनऊ में द्वितीय प्रशिक्षण का आयोजन होता है।

मुख्य परीक्षा एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा संचालित की जाती है तथा आवेदन एवं प्रवेश-पत्र सीधे सम्बन्धित परीक्षार्थियों को उनके पते पर एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा भेजे जाते हैं।

राष्ट्रीय स्तर की मुख्य परीक्षा सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में एक साथ

मई मास के दूसरे रविवार को (आवश्यकतानुसार तिथि परिवर्तन) आयोजित की जाती है।

उत्तर प्रदेश में मुख्य परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों का एकमात्र परीक्षा केन्द्र 11 राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद 11 निश्चित किया गया है।

मुख्य परीक्षा में सफल और साक्षात्कार के लिए अर्ह आधारिक विज्ञान के छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन साक्षात्कार प्रारम्भ होने के ठीक पहले मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। साक्षात्कार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निश्चित तिथियों में होता है। परीक्षा फल एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा घोषित होता है।

अन्तिम रूप से चयनित छात्रों को

(क) इण्टरमीडिएट स्तर पर दो वर्षों के लिए 150/- प्रतिमास + 200/- पुस्तकीय सहायता प्रतिवर्ष।

(ख) आधारिक एवं सामाजिक विज्ञान की दूसरी डिग्री स्तर की परीक्षा तक तथा मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग की प्रथम डिग्री स्तर की परीक्षा तक 200/- प्रतिमास + 300/- पुस्तकीय सहायता प्रतिवर्ष।

(घ) इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की द्वितीय डिग्री स्तर की परीक्षा तक 400/- प्रतिमास + 300/- पुस्तकीय सहायता प्रतिवर्ष।

(भ) आधारिक एवं सामाजिक विज्ञान में पी० एच० डी० स्तर के प्रथम दो वर्षों में 600/- प्रतिमास तथा अन्तिम दो वर्षों में 700/- प्रतिमास — 3000/- कन्टीजेन्सी आदि हेतु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

विशेष :

जिन परीक्षार्थियों के अभिभावकों की आय निर्धारित सीमा तक है, उन्हें उपर्युक्त दर से छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान उपलब्ध होते हैं जिन परीक्षार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है उन्हें उपर्युक्त दर का 50% देय होता है।

परिपोषण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पुरस्कृत छात्र जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मूल विज्ञान विषयों का अध्ययन कर रहें है उन्हें तीस दिन के ग्रीष्म कालीन नियोजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

हमारी उपलब्धि :

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित एवं चयनित होने वाले प्रदेश के छात्र-छात्राओं का विगत वर्षों के विवरण निम्नलिखित हैं।

वर्ष	राज्य स्तरीय परीक्षा में पंजी० सं०	राज्य स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित	मुख्य परीक्षा में सम्मिलित संख्या	साक्षात्कार के अर्ह छात्रों की	राजकीय स्तर पर अन्तिम रूप से चयनित छात्र सं०	प्रदेश का स्तर दीर्य स्तर पर स्थान
1985	5214	4317	403	79	31	—
1986	6782	5568	500	143	52	—
1987	10384	7229	500	160	67	—
1988	5816	4397	500	179	73	द्वितीय
1989	8481	5697	500	178	71	द्वितीय
1990	8046	5657	500	—	—	—

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, उत्तर प्रदेश को वर्ष 1988 तथा 1989 में द्वितीय स्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने का अवसर मिल चुका है।

संक्षेप में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के सम्पादन की समबद्ध कार्यक्रम निम्नवत् है :—

(1) परीक्षा सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रमुख समाचार-पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन तथा विभागीय सरकुलर आदि माध्यमों से प्रचार-प्रसार।	वर्ष के माह जुलाई/अगस्त में
(2) परीक्षा केन्द्रों पर आवेदन-पत्र एवं परीक्षा नियमावली सुलभ कराना।	माह अगस्त
(3) परीक्षा केन्द्रों पर आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि।	20 सितम्बर
(4) केन्द्रों एवं पंजीकृत छात्रों की संख्या, रजिस्टार, विभागीय परीक्षायें एवं निदेशक, मनोविज्ञानशाला को सूचना।	20 सितम्बर

(5) केन्द्रों द्वारा आवेदन-पत्रों की सन्निरीक्षा।	30 सितम्बर
(6) प्रश्न-पत्रों का निर्माण एवं परिसीमन।	माह सितम्बर
(7) केन्द्रों द्वारा आवेदन-पत्रों का प्रेषण।	8 अक्टूबर
(8) प्रश्न-पत्रों का मुद्रण एवं केन्द्रों पर प्रेषण।	31 अक्टूबर।
(9) राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन।	नवम्बर/दिसम्बर
(10) कम्पयूटर द्वारा मूल्यांकन तथा राज्य स्तरीय परीक्षाफल एवं योग्यता सूची का निर्माण।	31 दिसम्बर
(11) राज्य स्तरीय परीक्षा में सफल छात्रों का बायोडाटा कार्डस का निर्माण तथा एन० सी० ई० आर० टी० को संस्तुति कर प्रेषण।	माह जनवरी
(12) राज्य स्तरीय परीक्षाफल प्रकाशन तथा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना।	माह फरवरी
(13) राज्य स्तरीय परीक्षा में सफल छात्रों का प्रशिक्षण।	माह मार्च अथवा बोर्ड की हाई-स्कूल परीक्षा की समाप्ती के बाद
(14) मुख्य परीक्षा का आयोजन।	मई मास के द्वितीय रविवार को
(15) साक्षात्कार पूर्व प्रशिक्षण।	साक्षात्कार तिथि के 2 दिन पूर्व
(16) साक्षात्कार एवं ग्रूप डिस्कशन।	अगस्त के तीसरे सप्ताह से सितम्बर प्रथम सप्ताह के मध्य

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के सम्बन्ध में निम्न स्मरणीय बिन्दु पर ध्यान देना आवश्यक है : —

क्रमांक	पक्ष	विवरण	कार्यवाही हेतु उत्तरदायी अभिकरण/अधिकारी
(1)	योजना का प्रचार-प्रसार	निदेशक, मनोविज्ञानशाला मण्डलीय, मनोवैज्ञानिक मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र रजिस्टार, विभागीय	निदेशक, मनोविज्ञानशाला/ मण्डलीय मनोवैज्ञानिक, रजिस्टार, विभागीय परीक्षायें

1	2	3	4
		परीक्षायें द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है। वर्ष 1989-90 में शिक्षा निदेशक द्वारा विद्यालयों के प्रधानाचार्य को एक परिपत्र निर्गत किया गया।	
(2)	केन्द्र निर्धारण	अन्य जनपदों के साथ ही 1989 में नव निर्मित जनपदों हरिद्वार, फिरोजाबाद, कानपुर (देहात) सोन भद्र, सिद्धार्थ नगर, मऊनाथ भंजन जनपद में केन्द्र जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर किया गया।	निदेशक, मनोविज्ञानशाला रजिस्टार, विभागीय परीक्षा

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के विषय में केन्द्र की जानकारी जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी की जा सकती है।

वर्ष 1989-90 की राज्य स्तरीय प्रथम चयन परीक्षा 10 दिसम्बर को तथा द्वितीय मुख्य परीक्षा 13-5-90 को सम्पन्न हुई है।

हमारी अपेक्षा :

राष्ट्र की प्रगति एवं विकास उसके योग्यतम नागरिकों की दूरदर्शिता तथा कार्यों का प्रतिफल होता है तथा प्रत्येक युग में विभिन्न संस्कृतियों ने प्रतिभावान बच्चों की अन्तर्निहित क्षमता की परख करने तथा उसे पोषित करने का सद् प्रयास किया है। इस कल्याणकारी योजना के शत प्रतिशत सफलता हेतु सभी शिक्षाविद, चिन्तक, समाजसेवी का यह परम कर्तव्य है कि अधिकाधिक छात्र-छात्राओं को इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रेरणा प्रदान करें।

अधिकाधिक मेधावी छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सकें यही हमारा सद् प्रयास

है और इस निमित्त **रेडियो, आकाशवाणी,** दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है। अगर सभी का प्रयास रहा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को प्रथम स्थान भी पाने का गौरव प्राप्त हो सकता है।

शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ ने अपने अ० शा० पत्रांक शिविर/18806-19005/8 9-90 दिनांक 8 सितम्बर, 1989 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्याओं को एक परिपत्र प्रेषित कर अनुरोध किया था कि अपने विद्यालय से कम से कम 10 छात्रों का चयन करके उन्हें परीक्षा के विषय में उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करायें। साथ ही शिक्षा निदेशक महोदय का यह भी अनुरोध था कि 10 छात्रों में 2 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अवश्य होने चाहिए।

आशा है कि प्रधानाचार्यगण निश्चित रूप से उक्त का अनुपालन करेंगे।

श्याम नारायण राय
निदेशक,
मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग
मनोविज्ञानशाला
राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०
इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की उत्पादन प्रक्रिया

पाठ्य-पुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण एवं सर्वमान्य साधन है। व्यक्तिगत उपयोग के साथ ही पाठ्य-पुस्तकों की राष्ट्रीय एवं सामाजिक दृष्टि से भी विशिष्ट उपादेयता है। अस्तु इनकी रचना, उत्पादन आदि प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। हमारे संविधान में निहित तथ्यों, विचारों तथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक अपेक्षाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप संकल्पना के विचार से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की संकल्पना की गयी थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की मानक स्तरीय विषय वस्तु नियंत्रित मूल्य की पुस्तक समय पर (सही विषय वस्तु व सही मूल्य की सही समय पर) उपलब्ध कराना है।

प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का कार्य 1941-42 से प्रारम्भ हुआ। इसका विस्तार वर्ष 1976 से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं तक किया गया। सम्प्रति कक्षा 1 से 8 तक की 86 (53 हिन्दी माध्यम + 33 उर्दू माध्यम की) तथा कक्षा 9 से 12 तक की कुछ विषयों की 42 पुस्तकें भी राष्ट्रीयकृत है। वर्ष 1991 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, की स्थापना के उपरान्त पाठ पुस्तक विभाग निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया। सम्प्रति यह विभाग पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन/उत्पादन/वितरण वीक्षण आदि व्यवस्थाओं के साथ-साथ पाठ्य-सामग्री विकास संबंधित परिषद के विभिन्न विभागों के कार्यों का संयोजकत्व कर रहा है।

पाठ्य-पुस्तकों की रचना, उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया निम्नवत् है :—

पाठ्य-पुस्तकों का विकास :

वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक की 86 पाठ्य-पुस्तकें (परिशिष्ट–1) राष्ट्रीयकृत हैं। इनकी रचना परिषद के सम्बन्धित संस्थानों के संयोजकत्व में गठित लेखक मण्डल से करायी जाती है। लेखक मण्डल द्वारा विषय वस्तु का विकास पाठ्यक्रम, कक्षा, विषय तथा सम्बन्धित कारकों को ध्यान में रखते हुये की जाती है। लेखक परामर्शदाताओं के द्वारा विकसित पाठ्य-सामग्री की समीक्षा समीक्षकों से कराने उपरान्त पाण्डुलिपि विभाग को उपलब्ध करायी जाती है बेसिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त इनका प्रचलन सुनिश्चित किया जाता है और तदनुसार मुद्रण की व्यवस्था की जाती है।

नव विकसित पाठ्य-सामग्री को आकर्षक, बोधगम्य तथा प्रभावी बनाने हेतु पाठ्य-सामग्री के अनुरूप आवश्यकतानुसार चित्रांकन रेखांकन आदि भी कराये जाते हैं। पाण्डुलिपि को स्वतः पूर्ण रूप प्रदान करने के क्रम में मुद्रण की दृष्टि से आवश्यकतानुसार सम्पादन किया जाता है।

उत्पादन :

(क) आदर्श प्रति निर्माण विभिन्न चरणों में विकसित पाठ्य-सामग्री की डमी तैयार की जाती है। डमी को भी एक बार पुनः देख लेने के उपरान्त अन्ततः पुस्तक की आदर्श प्रति तैयार करायी जाती है। आदर्श प्रति का निर्माण विभाग द्वारा मुद्रण की उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त प्रकाशक/मुद्रक से कराया जाता है। आदर्श प्रतियों का निर्माण अत्यन्त सावधानी एवं विशेषता के साथ किया जाता है। विषय वस्तु की सेटिंग प्रयुक्त होने वाले टाइप, चित्रों के ब्लाक तथा रंग योजना, रेखांकन आदि समस्त कार्य विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में सम्पन्न होते हैं। इन आदर्श प्रतियों के अनुसार आवंटी प्रकाशक/मुद्रक पुस्तकों के मुद्रण की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन में मानक एकरूपता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

(ख) **मुद्रण**—प्रदेश के राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण विभाग द्वारा चयनित प्रदेश के निजी क्षेत्र के मुद्रकों/प्रकाशकों के माध्यम से कराया जाता है। प्रकाशकों/मुद्रकों को चुनने के लिए विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर शासन द्वारा गठित समितियों के द्वारा इनका चयन किया जाता है। चयन को वस्तुनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से आवेदकों के उपकरणों, प्रकाशनों आदि क्षमताओं का आंकलन किया जाता है। वस्तु स्थिति की जानकारी करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता है। चयनित् आवेदकों में विभागीय नियमों के अन्तर्गत सुरक्षा धन जमाकर अनुबन्ध कराना होता है। तत्पश्चात् मुद्रणार्थ पुस्तकों का आवंटन किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक पुस्तक आवश्यकतानुसार लाखों की संख्या में मुद्रित करायी जाती है किन्तु विभागीय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक आवंटी को किसी एक पुस्तक की एक निश्चित संख्या में ही पुस्तक की प्रतियाँ मुद्रित करने हेतु दी जाती है। अतः एक ही पुस्तक के मुद्रण में अनेक आवंटी सम्मिलित होते हैं।

कागज की व्यवस्था :

पूर्व में राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा त्रैमासवार उपलब्ध कराया जा रहा रियायती मूल्य का कागज आवंटियों को दिया

जाता था जिससे छात्रों को सस्ते मूल्य की पुस्तकें उपलब्ध करा पाना सम्भव हो रहा थी। इस व्यवस्था के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सीडी के अतिरिक्त कागज की शेष रियायती कीमत आवंटियों द्वारा दी जाती थी। किन्तु जनवरी–मार्च, 1990 के उपरान्त भारत सरकार से कागज का आवंटन प्राप्त न होने के कारण पाठ्य-पुस्तक उत्पादन के क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न हो गयी है। वर्तमान शिक्षा सत्र की आकस्मिक आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने कुछ धन की व्यवस्था की आगामी शिक्षा सत्र हेतु पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश की कक्षा 1 से 6 तक की 86 राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के लगभग 9 करोड़ प्रतियों के मुद्रण के लिए इस समय लगभग 11,900 मी० टन तथा कक्षा 9 से 12 तक की 42 राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के लिए लगभग 3,66 करोड़ प्रतियों के मुद्रण के लिए 10067 मी० टन कागज की आवश्यकता है। जिनका पूर्ववत् रियायती मूल्य रखने पर सब्सीडी हेतु लगभग 22 करोड़ रु० की आवश्यकता है। यदि पुस्तकों के मुद्रण में बाजार मूल्य का कागज प्रयुक्त किया जाता है तो कागज क्रय हेतु धन की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि करनी होगी जो 40% से 70% तक सम्भावित है।

आवरण-पृष्ठ की व्यवस्था :

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की गुणवत्ता एवं संख्या पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने की दृष्टि से आवरण-पृष्ठों की मुद्रण तथा वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारी स्तर से की जाती है। सुरक्षा के उद्देश्य से आवरण पृष्ठ राजकीय मुद्रणालयों में मुद्रित कराये जाते हैं। विभागीय व्यवस्था के अनुसार आवरण-पृष्ठ प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक आवंटी को आवरण-पृष्ठों का मूल्य, सेल्स टेक्स तथा रायल्टी आदि सम्बन्धी सभी देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग में जमा करने होते हैं। इसके पश्चात ही विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में आवरण-पृष्ठ उपलब्ध कराने सम्बन्धी परमिट निर्गत किये जाते हैं। जिसके आधार पर राजकीय मुद्रणालय आवंटी को निर्देशित मात्रा में आवरण-पृष्ठ उपलब्ध कराता है। कवर परमिट की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी को पुस्तकों का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कर तथा आदर्श प्रति से मुद्रित पुस्तक का मिलान कर विक्रयार्थ अवमुक्त करने हेतु भेजी जाती है। जिनका शिक्षा अधिकारी पुस्तकों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रति विभाग को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार आवरण-पृष्ठों के माध्यम से पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशक/मुद्रण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता हैं।

पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य निर्धारण :

प्रदेश की समस्त राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य निर्धारण का कार्य विभाग द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार सम्पादित किया जाता है। इस हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर विभाग पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य आगणन करता है। मूल्य निर्धारण में मुख्यतः लागत यथा कागज तथा आवरण-पृष्ठ का मूल्य, कम्पोजिंग, ब्लाक मेकिंग मुद्रण, बाइण्डिंग, बिक्रीकर आदि में आय व्यय सात प्रतिशत प्रकाशक/मुद्रक का

लाभांश साढ़े सात प्रतिशत पुस्तक विक्रेता का कमीशन एवं देय रायल्टी (जो अतिन्यून है) सम्मिलित किया जाता है मूल्य आगणन करने के उपरान्त शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित आवंटियों को इसकी सूचना भेजी जाती है, जिसे आबंटी पुस्तक के स्तर पृष्ठ पर मुद्रित करता है। पुस्तक का यही निर्धारित मूल्य उपभोक्ता मूल्य होता है।

परिनिरीक्षण :

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की गुणवत्ता, आवंटित कागज के सदुपयोग तथा तैयार पुस्तकों की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में जनपदीय शिक्षाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु विभाग तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण, पुस्तक रिलीज आदि के माध्यम से नियंत्रण बनाये रखा जाता है।

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विभागीय मूल्यांकन :

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन की गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु विभागीय स्तर पर भी मुद्रित पुस्तकों के मूल्यांकन की व्यवस्था है। जनपदीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या के साथ उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों का विभागीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मानक निष्कर्षों टाइप, चित्र रंग योजना, बाइण्डिंग, स्याही, मुद्रण स्तर, शाब्दिक अशुद्धियों आदि के आधार पर मूल्यांकन आख्या तैयार की जाती। श्रेष्ठता अथवा निष्कृष्टता के आधार पर पुस्तकों को वर्गीकृत करके उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा उत्कृष्ट मुद्रण के लिए प्रोत्साहन प्रमाण-पत्रों तथा निकृष्ट मुद्रण के लिए दण्ड स्वरूप आगामी आवंटन में कमी करने पर विचार किया जाता है।

पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा :

प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की विषय वस्तु को नवीन स्थितियों व राष्ट्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की विभागीय विशेषज्ञों अथवा उच्चस्तरीय समीक्षक मण्डल द्वारा करायी जाती है।

पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता :

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए बाजार की स्थिति की जानकारी करते हुए

मुद्रण प्रकाशन की कार्य योजना तैयार की जाती है जिससे बाजार की माँग के आधार पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित हो सके। प्रारम्भ से ही यह विभाग उपलब्धता सम्बन्धी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पाठ्य-पुस्तकों का आवंटन इस प्रकार नियोजित करता है कि सामान्यत: आवंटित पुस्तकों का वितरण प्रदेश के सभी मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में की जाय। इसके लिए सत्र के प्रारम्भ से पूर्व समस्त कार्यवाही कर ली जाती है।

राष्ट्रीयकृत-पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कागज की व्यवस्था व आपूर्ति, आवरण-पृष्ठों के मुद्रण तथा उसकी उपलब्धता पर भी सजग दृष्टि रखनी पड़ती है।

गैर राष्ट्रीयकृत (स्वीकृत) पाठ्य-पुस्तकें :

कला, वाणिज्य विषयों की कुछ पाठ्य-पुस्तकें राष्ट्रीयकृत नहीं है। इन्हें स्वीकृत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित करके विचारार्थ आमंत्रण किया जाता है। विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों की विषय-विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करायी जाती है। तदुपरान्त एतदर्थ गठित उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा इनका चयन किया जाता है। शासन के अनुमोदनोपरान्त इन्हें स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक के रूप में सम्मिलित करने की व्यवस्था है। स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए रियायती मूल्य का कागज भी विभाग द्वारा ही आवंटित किया जाता है तथा बिक्री आदि की पूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित प्रकाशक उत्तरदायी होता है।

सामान्तर/नकली पुस्तकों के प्रचलन पर रोक :

प्रकाशन विभाग यह भी देखता है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के सामान्तर अथवा नकली पुस्तकों का प्रचलन न हो। इसके लिए समस्त मण्डलीय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को तद्विषयक निर्देश भेजते हुए निरन्तर सम्पर्क रखा जाता है और सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर इसके लिए प्रभावी कार्यवाही की जाती है आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थनीय निरीक्षण की भी व्यवस्था है।

मूल्य नियंत्रण :

यह विभाग इसे और भी जागरुक रहता है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के जो मुख्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गये हैं उसी के अनुरूप पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो सके। इसके लिए जनपदीय अधिकारियों को निर्देश भेजते हुए तथा बाजार द्वारा प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए निरीक्षक आदि करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के सही मुद्रण, उपलब्धता एवं प्रचलन में जनपदीय

शिक्षाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वस्तुतः उन्हीं के माध्यम से समस्त कार्य व्यवहृत होते हैं।

अन्य कार्य :

पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन के अतिरिक्त प्रकाशन विभाग द्वारा अनुपूरक/सहायक शिक्षण सामग्री के चयन की कार्यवाही भी की जाती है या बाल पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, पत्रिकायें आदि। इसके अतिरिक्त विभाग पाठ्य-पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं से सम्बन्धित सूचना प्रदेश के समस्त जनपदों से संकलित कर शासन को उपलब्ध कराना, शैक्षिक विचार, गोष्ठियों में भाग लेना, पाठ्य-पुस्तकों सम्यक् परिवर्तन-परिवर्धन से सम्बन्धित विचार गोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन, शासन द्वारा सम्बन्धित निर्देशित विन्दुओं पर कार्य-वाही, पाठ्य-पुस्तक सम्बन्धित शिकायतों/जिज्ञासाओं का परीक्षण-सम्पादन द्वारा समय-समय पर निर्णीत निष्कर्षों के आधार पर पाठ्य-सामग्री में यथोचित संसोधन कराता रहता है। विभाग पाठ्य-पुस्तकों की गुणवत्ता व मुद्रण स्तर को सुधारने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है।

प्रकाशन विभाग-वर्तमान पदों का विवरण

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पाठ्य-पुस्तक अधिकारी	1
2.	उप-पाठ्य-पुस्तक अधिकारी	1
3.	सहायक पाठ्य पुस्तक अधिकारी	1
4.	उत्पादन अधिकारी	1
5.	साहित्यिक सहायक	6
6.	चित्रकार	1
7.	जूनियर साहित्यिक सहायक	1
8.	अधीक्षक	2
9.	शिविर सहायक	2
10.	वरिष्ठ सहायक	7
11.	वरिष्ठ लिपिक	4
12.	कनिष्ठ लिपिक	3
13.	प्रूफ रीडर	1
14.	पुस्तकालय सहायक	1
15.	बुक बाइण्डर	1
16.	दफ्तरी	2
17.	परिचालक	1

परिशिष्ट—2

कक्षा 1 से 8 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के निर्धारित वर्तमान मूल्य

क्रमांक	पुस्तक का नाम		निर्धारित मूल्य
	प्राइमरी कक्षायें		
1.	ज्ञान भारती	भाग—1	4·70
2.	,,	भाग—2	2·10
3.	,,	भाग—3	2·95
4.	,,	भाग—4	2·15
5.	,,	भाग—5	2·00
6.	बाल अंकगणित	भाग—2	1·85
7.	,,	भाग—3	3·25
8.	,,	भाग—4	2.35
9.	,,	भाग—5	2·35
10.	हमारी दु० हृ० समाज	भाग—1	2·80
11.	,,	भाग—2	2·55
12.	,,	भाग—3	3·15
13.	विज्ञान आ० क० सीखे	भाग—1	2·35
14.	,,	भाग—2	1·75
15.	,,	भाग—3	1·65

क्रमांक	पुस्तक का नाम		निर्धारित मूल्य

जूनियर कक्षायें

16	नव भारती	भाग—1	2·60
17	,,	भाग—2	2·85
18	,,	भाग—3	3·00
19	अंकगणित	भाग —1	2·55
20.	,,	भाग—2	2·62
21.	,,	भाग—3	2·35
22.	बीजगणित और रेखा ग०	भाग—1	2·00
23.	,,	भाग—2	2·65
24.	,,	भाग—3	3·30
25.	बेसिक इंगलिश रीडर	भाग—1	2·70
26.	,,	भाग—2	2·96
27.	,,	भाग—3	3·40
28.	हमारा भूमण्डल	भाग—1	3·40
29.	,,	भाग—2	4·10
30.	,,	भाग—3	4·10
31.	ह० इतिहास और ना० जीवन	भाग—1	2·60
32.	,,	भाग—2	3·55
33.	,,	भाग—3	3.80
34.	प्रारम्भिक विज्ञान	भाग—1	3·80
35.	,,	भाग—2	4·20
36.	,,	भाग—3	5·00
37.	संगीत सुलभ	भाग—1	1·65
38.	,,	भाग—2	1·75
39.	,,	भाग—3	2.05

क्रमांक	पुस्तक का नाम		निर्धारित मूल्य
40.	कृषि विज्ञान	भाग—1	1·85
41.	,,	भाग—2	2·54
42.	,,	भाग—3	3·35
43.	हमारे पूर्वज	भाग—1	1·70
44.	,,	भाग—2	1·90
45.	,,	भाग—3	1·90
46.	सामान्य हिन्दी		4·70
47.	जनरल इंगलिश		4·45
48.	स्काउट गाइड शिक्षा		3·00
49.	नैतिक क्षिक्षा	भाग—3	1·40
50.	,,	भाग—4	1·50
51.	,,	भाग—5	1.90
52.	,,	भाग—6	1·25
53.	,,	भाग—7	1.25
54.	,,	भाग—8	1·25

क्रमांक	उर्दू पुस्तक का नाम		निर्धारित मूल्य
	प्राइमरी		
1.	बेसिक उर्दू रीडर	भाग—1	1·50
2.	,,	भाग—2	1·65
3.	,,	भाग—3	1·70
4.	,,	भाग—4	1·80
5.	,,	भाग—5	1·15

क्रमांक	उर्दू की पुस्तक		निर्धारित मूल्य
6.	बेसिक हिसाब	भाग—2	1.85
7.	,,	भाग—3	1.95
8.	,,	भाग—4	2·35
9.	,,	भाग—5	2·35
10.	हमारी दु० ह० समाज	भाग—1 (उर्दू)	2·30
11.	,,	भाग—2	2.55
12.	,,	भाग—3	3·15
13.	साइंस आओ तजुर्बे से सीखें	भाग—1	1·95
14.	,,	भाग—2	1·75
15.	,,	भाग—3	1 65
	जूनियर		
16.	हमारी जुबान	भाग—1	1·45
17.	,,	भाग—2	1·70
18.	,,	भाग —3	2·15
19.	अरिथमेटिक	भाग—1	2·55
20.	,,	भाग—2	2·60
21.	,,	भाग—3	2·35
22.	अल्जबरा ज्योमेट्री	भाग—1	2·00
23.	,,	भाग—2	2·65
24.	,,	भाग—3	3·30
25.	हमारी तारीख इल्मद्दुन	भाग—1	2·60
26.	,,	भाग—2	3·55

क्रमांक	उर्दू की पुस्तक		निर्धारित मूल्य
27.	',	भाग—3	3·80
28.	हमारा कुर्रये जमीन	भाग—1	3·40
29.	,,	भाग—2	4·10
30.	,,	भाग—3	4·10
31.	इब्तिबासी साइंस	भाग—1	3·80
32.	,,	भाग—2	4·20
33.	,,	भाग—3	5·00

कक्षा 9 से 12 तक की राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तकों के निर्धारित वर्तमान मूल्य

क्रमांक	पुस्तक का नाम		पुस्तक का मूल्य
	हाईस्कूल		
1.	गद्य संकलन		4·65
2	काव्य संकलन		4·50
3.	रंग भारती		3·20
4.	संस्कृत परिचायिका		1·75
5.	इंगलिश रीडर		4·15
6.	सप्लीमेंट्री रीडर		2·00
7.	इंगलिश ग्रामर एण्ड कम्पोजिशन		6·70
8.	गणित एक	भाग—1	7·35
9.	गणित एक	भाग—2	7·00
10.	गणित 2	भाग—1	7·80
11.	गणित 2	भाग—2	7·00
12.	विज्ञान 1	भाग—1	8·40
13.	विज्ञान 1	भाग—2	7·40
14.	विज्ञान 2	भाग—1	9·85
15.	विज्ञान 2	भाग—2	9·50
16.	सामाजिक विज्ञान-1		7·55
17.	सामाजिक विज्ञान-2		6.55
18.	जीव विज्ञान-1		9·40
19.	जीव विज्ञान-2		9·30
20.	इतिहास-1		5·55

क्रमांक	पुस्तक का नाम	पुस्तक का मूल्य
21.	इतिहास-2	7·65
22.	संस्कृत गद्य भारती	3·00
23.	संस्कृत पद्य पीयूषम	3·75
24.	कथा नाटक कौमुदी	3·45
25.	संस्कृत व्याकरण	3·15
	इण्टरमीडिएट	
26.	गद्य गरिमा	4·35
27,	काव्यांजलि	4·90
28.	कथा भारती	3·60
29.	संस्कृत दिग्दर्शिका	1·90
30.	इंगलिश प्रोज	3·15
31.	इंगलिश पोयट्री	2·70
32.	इंगलिश शार्ट स्टोरीज	1·95
33.	जूलियस सीजर	5·65
34.	जनरल इंगलिश	8·10
35.	अर्थशास्त्र-1	9·35
36.	अर्थशास्त्र-2	7·95
37.	बीजगणित	9·05
38.	कैलकुलस	5·95
39.	त्रिकोणमिति	5·00
40.	स्थित विज्ञान एवं सदिश विश्लेषण	6·40
41.	गति विज्ञान	5·85
42.	निर्देशांक ज्यामिति	5·10

पर्यावरणीय शिक्षा

पर्यावरणीय प्रदूषण आज की ज्वलंत समस्या है। इसका जन्मदाता स्वयं मानव ही है। उसने एक ओर तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जीवन के आवश्यक तत्व जल एवं वायु दूषित हो गये हैं। इन दूषित पदार्थों के प्रयोग से मानव जीवन प्रभावित होती है। वास्तव में प्राणिमात्र के जीवन को हानि पहुँचाने वाले तत्व ही 'प्रदूषण' कहलाते हैं। ये प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के हैं :—

(1) वायु प्रदूषण :

वायु मण्डल में गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती है। जब किन्हीं कारणों से इनकी मात्रा एवं अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो इसे 'वायु प्रदूषण' कहते हैं। ईंट के भट्टों, घर में प्रयुक्त ईंधन, बस, ट्रक, कार, से निकला धुआँ, वायु मण्डल को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण से ब्रांकाइटिस, दमा आदि सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं।

(2) जल प्रदूषण :

जब जल में विषाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, कूड़ा करकट आदि गिरते हैं तो जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार जल के दूषित होने को 'जल प्रदूषण' कहते हैं। दूषित जल को पीने से टाइफाइड, पेचिश, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। पानी में उत्पन्न कीटाणु तट पर आक्सीजन कम कर देते हैं जिससे तट के जीवों की मृत्यु हो जाती है।

(3) ध्वनि प्रदूषण :

कारखानों की मशीनों, लाउडस्पीकर, पेट्रोल व डीजल से चलने वाली मशीनों की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, स्नायुतनाव व रक्तचाप की बीमारियों के होने का भय रहता है।

(4) मृदा प्रदूषण :

मृदा में लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसों के अनुपात में असन्तुलन 'मृदा प्रदूषण' कहलाता है। कीटनाशी पदार्थों के प्रयोग से मृदा में पाये जाने वाले कीट, केंचुआ, जीवाणु तथा फफूंदी भी मर जाती है। फलस्वरूप सड़े, गले पदार्थ, मिट्टी में जमा होने लगते हैं जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।

मृडियों धर्मी प्रदूषण के प्रभाव से जीन तथा गुण सूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन हो

जाता है जिससे भावी सन्तानें प्रभावित होती हैं। इससे कैंसर आदि भयानक रोग होते हैं।

पर्यावरणीय प्रदूषण की इस विभीषिका को देखते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा का समावेश आवश्यक समझा गया है।

पर्यावरण की वर्तमान स्थिति ने आज सम्पूर्ण मानव जाति को आतंकित कर दिया है। आये दिन प्रकृति के प्रबन्ध में मानव हस्तक्षेप करता जा रहा है। प्रकृति की एक संतुलित व्यवस्था हैं जो मानव जाति के लिए मंगलकारी है, किन्तु मानव ने अपने बौद्धिक विकास के बल पर प्रकृति के अनुशासत उल्लंघन किया है। उसकी व्यवस्था और मान्यताओं का अतिक्रमण किया है। मानव ने यह नहीं सोचा कि उसके निजी स्वार्थ ने उसी के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है।

वृक्षों पर अत्याचार हो रहा है, चारों ओर औद्योगिक कचरा फैला हुआ है। नाभिकीय विस्फोट हो रहे हैं। ये सभी मानव जाति के सर्वनाश को बढ़ावा दे रहे हैं। हिमालय की चोटियाँ सिसक रही हैं। उनकी शान्ति तथा आध्यात्मिक वैभव लुप्त हो रहा हैं। उसका अमृतमय जल भी प्रदूषित हो चुका है। हमने प्रकृति की कीमत पर विश्व का विकास किया है। विकास हेतु सभी कुछ दांव पर लगा दिया है। सत्य तो यह है कि कानून बनाने पर भी पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती। मुख्य बात तो जनसमुदाय की मानसिकता की है। जब जन-जन के मस्तिष्क में यह बात बैठ जायेगी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, तभी पर्यावरण सुरक्षित हो सकेगा।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन आन्दोलन चलाना भी आवश्यक है। मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए तत्काल एवं प्रभावी कदम प्रत्येक स्तर पर उठाये जायें। पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन एवं विध्वंस की ओर समुदाय में न केवल चेतना ही विकसित करने की आवश्यकता है अपितु पर्यावरण के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए आवश्यक ज्ञान, अभिवृत्तियों एवं कौशलों का विकास किया जाना भी आवश्यक है। इसी महत्व को देखते हुए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने यह संस्तुति की थी कि दीर्घ कालीन और अल्प कालीन उद्देश्यों के लिए पर्यावरणीय चेतना का त्वरित गति से प्रचार करना आवश्यक है।

पर्यावरणीय शिक्षा :

मनुष्य की पारस्परिक संस्कृति और अपने जैविक प्राकृतिक परिवेश के अन्त सम्बन्धों को समझने और उसकी महत्वानुभूति के लिए आवश्यक दक्षता और अभिवृत्तियों के विकास की आवश्यकता है। पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण की गुणवत्ता से सम्बन्धित स्वनिर्मित आचरण संहिता एवं निर्णय लेने की आदत का विकास भी सम्मिलित है। कुछ शिक्षा विदों के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रक्रिया है विषय नहीं।

अतः समय एवं विश्व की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए भारत में भी यह अनुभव किया गया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालयी पाठ्यक्रम में रखी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने की परम आवश्यकता है। यह बच्चों से प्रारम्भ होकर सभी वय में होनी चाहिए। पर्यावरणीय चेतना विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षण का अंग बने। इस पक्ष को समस्त शैक्षिक प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। योजना आयोग की पर्वतीय विकास परामर्शदात्री समिति द्वारा एक उप समिति का गठन पारिस्थितिकी एवं विकास तथा अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं की समाहित करते हुए पाठ्यक्रम, पाठ्य-सामग्री एवं कार्यनीति पर विचार करने के लिए किया गया था। इस उप समिति का विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरणीय शिक्षा को शिक्षा के निम्नतम स्तर से ही बीज पाठ्यक्रम का अंग बनाने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किन्तु प्रभाव की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य-सामग्री क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय समस्याओं के सन्दर्भ में कितनी प्रासंगिक एवं अर्थपूर्ण है।

विश्व एवं अपने देश के सन्दर्भ में पर्यावरण के विनाश से होने वाली हानियों के प्रति भावी नागरिकों को सचेत करना है। भावी छात्र/छात्राओं में प्रारम्भ से ही पर्यावरण के प्रति सजगता एवं संरक्षण-अनुरक्षण की भावना का विकास करना है।

उद्देश्य :

(1) बच्चों को अपने निकटस्थ पर्यावरण का ज्ञान देना।

(2) पर्याबरण और जीव जगत की पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान देना।

(3) पर्यावरण के विविध घटकों का पारिस्थिति की संतुलन में महत्व का ज्ञान देना।

(4) भौतिक संसाधनों की उपयोगिता का ज्ञान कराना।

(5) पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन और उनके प्रभावों से अवगत कराना।

(6) पर्यावरण के संरक्षण, पुर्नवास एवं विकास के लिए आवश्यक उपायों तथा विधाओं का ज्ञान देना।

पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पर्यावरणीय शिक्षा की विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक है :—

(1) पर्यावरणीय शिक्षा को सभी पढ़ाये जाने वाले विषयों के अंश के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

(2) पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा प्रत्येक स्तर पर होनी चाहिए ।

(3) पर्यावरणीय शिक्षा में व्यापक पर्यावरणीय आचार का विकास समाहित होना चाहिए ।

(4) पर्यावरणीय शिक्षा में मूल पर्यावरणीय संबोध नियंत्रित करने वाले तत्व धारण क्षमता एवं उनके प्रति चेतना का तत्व होना चाहिए ।

(5) पर्यावरणीय शिक्षा में ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोऐन्द्रिक प्रतिक्रियाएँ (मुख्यतः ऐसी अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास सम्मिलित है) जो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक हों ।

(6) जटिल पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु बालकों में चिन्तन प्रक्रिया के विकास में पर्यावरणीय शिक्षा को सहायक होना चाहिए ।

(7) पर्यावरणीय शिक्षा अपने और समाज तथा प्राकृतिक जगत से सह सम्बन्ध के प्रति धारणाओं, मूल्यों एवं भावनाओं का भी पता लगाने वाली होनी चाहिए ।

(8) प्राकृतिक जगत के प्रति प्रेम और आदर विकसित करने में सहायक अनुभव एवं क्रिया-कलापों के माध्यम से अधिगम के विकास हेतु प्रत्येक परिस्थिति का उपयोग किया जाना चाहिए ।

(9) पर्यावरणीय शिक्षा में स्थानीय परिवेश, केस स्ट्डी, अभिनय, खेल आदि का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए जिससे बच्चों को प्राकृतिक एवं मानवकृत व्यवस्थाओं को समझने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनने में सहायता मिले ।

(10) पर्यावरणीय अध्ययन केवल वर्तमान का अध्ययन नहीं है, अपितु वर्तमान का आँकलन एवं भविष्य की कल्पना है ।

(11) बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण यह आवश्यक होगा कि वैयक्तिक अधिगम हेतु अन्तर विषयों पर्यावरणीय समस्याओं के स्वतंत्र अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

(12) पर्यावरणीय शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समग्र समुदाय ही अधिगम अन्तरण का कार्य करता है । इस प्रकार यह समुदायोन्मुख होती है ।

(13) पर्यावरणीय शिक्षा में क्षेत्र-अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(14) पर्यावरणीय समस्याओं के विषय में पूर्ण एवं शुद्ध सूचनाएँ प्रदान करने के लिए सम्प्रेषण माध्यम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

(15) पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वयन आवश्यक होता है ।

(16) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन में लचीला-पन होना चाहिये।

महत्व :

पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसका प्रारम्भ सांस्कृतिक स्तर से होना चाहिये। संस्कृति का सम्बन्ध शाश्वत मूल्यों से है जो जीवन को संस्कार प्रदान करते हैं। संस्कृति का भावना से सम्बन्ध होता है। इसमें हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है। पर्यावरण के महत्व को इसी स्तर पर भली-भाँति समझा जा सकता है। यदि पर्यावरण सुरक्षा के प्रश्न को सांस्कृतिक स्तर पर समझने में सफलता मिल जाती है तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

संस्कारों का बीज बच्चों मे ही आसानी से अंकुरित किया जा सकता है, बड़ों में नहीं, यद्यपि बड़ों में बुद्धि अधिक होती है पर ग्रहण शक्ति कम होती है। बच्चे किसी भी बात को भावना के स्तर पर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिये प्रारम्भिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाय, उसमें पर्यावरण सुरक्षा के प्रश्न को सशक्त ढंग से देना ही श्रेयस्कर होगा।

शिक्षा में नवाचार

गौरी शंकर मिश्र
प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा मानवीय आवश्यकताओं की सम्प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक स्रोत है। जनसंख्या विस्फोट, औद्योगीकरण तथा ज्ञान-विस्फोट के सन्दर्भों में शिक्षा-व्यवस्था की प्रासंगिकता अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन समस्याओं के समाधान हेतु स्थायी अभिवृत्ति के निर्माण में अन्य अभिकरणों की अपेक्षा शिक्षा की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फलतः शिक्षालयों की प्रभावात्मकता की वृद्धि हेतु उनको आवश्यक साज-सज्जा उपलब्ध कराना, जनसंख्या की निरंतर वृद्धि से उत्पन्न विभीषिकाओं तथा जन-जीवन के अस्तित्व के आगे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करना शिक्षा का स्वतः एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। अतः विद्यालय की भौतिक स्थिति में सुधार शिक्षण अधिगम के उपकरणों की उपलब्धता आदि की दृष्टि से आपरेशन ब्लैक बोर्ड, जनसंख्या की विभीषिका से बचने तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण की शुचिता एवं शुद्धता को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से पर्यावरणीय शिक्षा का समावेश हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की दूरदर्शिता और अग्रगामिता का परिचायक है।

"आपरेशन ब्लैक बोर्ड"

हमारे संविधान में देश के 14 वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालय जाने वाले वय के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं, किन्तु इस दिशा में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हो सकी, यद्यपि छात्र नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सामान्य अनुभव है कि प्रायः अनेक बच्चे कक्षा 5 की शिक्षा पूरी किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं या वे विभिन्न कक्षाओं में अनुत्तीर्ण होकर 5 वर्ष से अधिक समय तक प्राथमिक विद्यालयों में रहते हैं। शैक्षिक शब्दावली में इसे ह्रास-अवरोध कहते हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से भी प्राथमिक शिक्षा अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पा रही है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि इन कठिनाइयों के कारण प्राथमिक शिक्षा के स्तर में बड़ी गिरावट आ गई है। हमारा उद्देश्य अधिगम को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त बच्चों में खोज, अन्वेषण तर्क, विश्लेषण आदि की शक्तियों एवं क्षमताओं के विकास पर बल देना हैं।

गम्भीरता से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की निराशाजनक स्थिति का मुख्य कारण उनकी साधन विपन्नता है। राज्य में बहुत से

विद्यालय एक अध्यापकीय हैं। हम एक अध्यापकीय विद्यालयों की समस्याओं से परिचित हैं। सभी बच्चों को सार्थक एवं सोद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में व्यस्त रखना कठिन हो जाता हैं। फलतः सबसे निचली कक्षा, जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, प्रायः उपेक्षित रह जाती है। इसका प्रभाव उनकी सम्प्राप्ति पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक के आकस्मिक अवकाश या मीटिंग में भाग लेने पर विद्यालय बन्द करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है।

विद्यालयीय वातावरण को आकर्षक बनाने में भौतिक संसाधनों एवं परिसर का बड़ा योगदान होता है। खुले आसमान या पेड़ों के नीचे कक्षायें लगाने से ऐसे वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। भवन के अतिरिक्त आवश्यक साज-सज्जा, शिल्प-कार्यानुभव के लिए उपकरण, सांस्कृतिक गतिविधियाँ सृजनात्मक अभिवृत्ति के लिए उपकरणों के अभाव में उत्साही एवं निष्ठावान अध्यापक चाहते हुए भी विद्यालय के क्रिया-कलापों में सरसता एवं स्पन्दन नहीं ला पाते हैं और न ही ऐसी स्थिति का निर्माण ही कर पाते हैं जिससे अधिगम को प्रोत्साहन मिले और जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होकर शिक्षा के प्रयोजन की पूर्ति कर सके।

राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों पर गम्भीरता से विचारोपरान्त यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए अद्वितीय पूँजी निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक विद्यालयों को शोचनीय स्थिति से उबारने को आवश्यकता को गम्भीरता से लिया गया। विद्यालय की विपन्नता को दूर कर शिक्षा की गुणवत्ता में विकास की दृष्टि से एक अभियान प्रारम्भ करने का संकल्प किया गया जिसे सांकेतिक रूप में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" कहा गया। इस अभियान के अन्तर्गत सभी प्राइमरी विद्यालयों में उन सभी भौतिक सुविधाओं को अवश्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिनकी विद्यालय में कमी है।

इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रदेश के चयनित विकास खण्डों के सभी प्राइमरी विद्यालयों को निम्नांकित सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।—

1—श्यामपट्ट
2—अध्यापकों के लिए मेज
3—कूड़ादान
4—बाल्टी
5—लोटा एवं गिलास
6—उत्तर-प्रदेश का मानचित्र
7—कुर्सी (अध्यापकों के लिए)
8—आलमारी
9—टाट-पट्टी
10—घण्टा
11—जनपद का मानचित्र
12—भारत का राजनैतिक मानचित्र
13—शैक्षिक चार्ट
14—ग्लोब
15—बौद्धिक खेल-कूद की सामग्री
16—खिलौने
17—मजीरा
18—विज्ञान किट

19—गणित किट

20—ज्ञान कोष

21—पत्र-पत्रिकायें

22—पाठ्य-पुस्तकें

23—फुटबाल

24—गेंद स्पंज का

25—हवा भरने का पम्प

26—कूदने की रस्सी (बड़ी)

27—पशु तथा पक्षियों की पहेलियाँ

28—हारमोनियम-बाँसुरी (दरी)

29—ढोलक

30—मिनिट्रल निट

31—शब्दकोष

32—बाल-पुस्तकें

33—पाठ्यक्रम

34—शिक्षक संदर्शिकायें

35—बालीबाल

36—कूदने की रस्सी (छोटी)

37—रिंग

उपर्युक्त सुविधाओं को विद्यालयों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 1990 तक ये सारी सुविधायें वहाँ पहुँचा दी जायेंगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गए हैं। इस राज्य में वित्तीय वर्ष 1987–88 में 20% प्रतिशत विद्यालयों को, 1988–89 में 30% विद्यालयों को तथा 1989–90 में शेष सभी 50% विद्यालयों को ये सभी सुविधायें उपलब्ध करा देना लक्ष्य रखा गया था किन्तु अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है।

आशा है कि इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने पर एक उचित शैक्षिक वातावरण बन सकेगा तथा ह्रास अवरोध की समस्या कम हो जायेगी और साथ ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार सम्भव हो सकेगा। इससे निश्चय ही शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य भी प्राप्त हो सकेगा।

"जनसंख्या शिक्षा"

भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारम्भ 1980 से हुआ। उत्तर प्रदेश एक वर्ष पश्चात् 1981 में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस परियोजना को यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटीज द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना का एशिया और पेसिफिक क्षेत्रों का मुख्यालय बैंकाक में स्थित है जो परियोजना के संचालन को दिशा निर्देश भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना का संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के अन्तर्गत संगठित राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। यह प्रकोष्ठ भारत के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं समन्वयन का कार्य सम्पादित करता है।

प्रदेश स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, निशातगँज, लखनऊ के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) उ० प्र०, इलाहाबाद में जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

सम्प्रति, प्रकोष्ठ में पूर्णकालिक/अंशकालिक पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका वेतन यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा दिया जाता है।

जनसंख्या शिक्षा परियोजना के उद्देश्य :

(1) छात्रों एवं शिक्षकों को देश की जनसंख्या की स्थिति का सही ज्ञान कराना।

(2) उनमें जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के सन्दर्भ में अनुभूति का विकास करना।

(3) जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न विषय स्थिति के मध्य कार्य कारण सम्बन्ध को समझाने की क्षमता का विकास करना।

(4) सामाजिक रुढ़ियों, परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों की बदलते हुए परिवेश एवं तज्जनित परिस्थितियों के आलोक में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति का विकास।

(5) जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता के मध्य सम्बन्ध को समझने की क्षमता का विकास करना।

जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक स्तर से लेकर – +2 स्तर तक की औपचारिक अकादमिक व्यवस्था तथा इन स्तरों से सम्बन्धित शिक्षक-प्रशिक्षण—व्यवस्था सम्मिलित है।

इस वर्ष से अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में (6—11) वयवर्ग के छात्र/छात्राओं तथा उनके अनुदेशकों को भी इस योजना में समाहित किया गया है।

जनसंख्या शिक्षा परियोजना की कार्य-विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित उपागमों का सामान्यतय: प्रयोग किया जाता है :—

1—कार्य गोष्ठी।

2—विचार गोष्ठी।

3—प्रशिक्षण।

4—निबन्ध प्रतियोगिता।

5—वाद-विवाद प्रतियोगिता।

6—पोस्टर, चार्ट।

7—कठपुतली प्रदर्शन।

8—जनसंख्या मेला आदि।

शिक्षण सामग्री का विवरण :

1—जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम विकास।

2—प्रशिक्षण मंजूषाओं एवं जनसंख्या शिक्षा संदर्शिका का विकास।

3—निर्देशन सामग्री का विकास।

4—छात्रों हेतु पाठ्य-सामग्री का निर्माण।

5—पाठ्य-सामग्री का परीक्षण एवं परिवर्द्धन।

6—श्रव्य-दृश्य सामग्री का विकास।

7—आकाशवाणी पाठ, अध्यापकों हेतु वार्ता एवं विद्यालय-प्रसारण हेतु आलेख।

8—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं सामग्री विकास।

9—अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों हेतु संदर्शिका।

10—कैशोर्य शिक्षा हेतु स्व-अधिगम सामग्री (प्रकाशनाधीन)।

11—अनौपचारिक शिक्षा हेतु स्व-अधिगम सामग्री (प्रकाशनाधीन)।

12—समाचार दर्पण "चेतना"।

मूल्यांकन :

1—राज्य स्तरीय परियोजना का मूल्यांकन।

2—आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन।

3—अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण (परियोजना के तुलनात्मक अध्ययन हेतु)।

4—प्राइमरी स्तरीय अध्यापकों के जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रभावात्मकता का अध्ययन।

सम्प्रति प्रदेश के नौ (इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ) में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन का कार्य मण्डलीय

जनसंख्या शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये अधिकारी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यकलापों से सम्बद्ध हैं तथा मण्डल व जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों के प्रभारी होते हैं। प्राथमिक स्तर से लेकर – + 2 स्तर तक के प्रशिक्षणों के लिये धन का आबंटन राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। यह धन यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा प्राप्त होता है। प्रशिक्षण के पश्चात् मण्डलीय जनसंख्या शिक्षा अधिकारी व्यय विवरण की सूचना राज्य जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित करते हैं तथा बाउचर आदि मण्डल तथा जनपद स्तर पर रखे जाते हैं।

बी० एड० तथा एल० टी० शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद के जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ का होता है। इस प्रकार प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक जनसंख्या शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं।

शैक्षिक नियोजन : माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख विकास योजनाएँ

उदय नारायण मिश्र
उप शिक्षा निदेशक (शिविर)

नियोजन की संकल्पना :

समय, शक्ति और साधन-सभी सीमित हैं। इनका सही ढंग से समुचित उपयोग कर जीवन के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही जीवन की सफलता निहित है। यह बात प्रत्येक व्यक्ति समाज और राष्ट्र पर लागू होती है। वही व्यक्ति अथवा समाज और राष्ट्र पर लागू होती है। वही व्यक्ति अथवा समाज सफलतापूर्वक अभीष्ट दिशा में अग्रसर हो सकता है जिसके उद्देश्य स्पष्ट हों, जिसे इस बात की संकल्पना हो कि उसका मार्ग क्या होगा, जिसने अपने साधनों एवं अवलम्ब को पहिचान लिया हो और जो उनके उपयोग के ढंग से सुपरिचित हो, जो साधनों के सही ढंग से उपयोग की रूपरेखा पहले से ही निश्चित कर ले और तदनुरूप कार्यक्रम बनाकर उसमें लग जाय तथा समय-समय पर यह निश्चय करता रहे कि वह अपने गन्तव्य पर पहुँच रहा है, अथवा नहीं, तभी वह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता हैं। हमारे लक्ष्य, साधन और प्रयासों में सामंजस्य होना आवश्यक होता है, अन्यथा हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। लक्ष्य तक पहुँचने के पश्चात् इन सबकी समीक्षा भी आवश्यक होती है जिससे कि भावी कार्यक्रमों में हमारी गति और लक्ष्य सम्प्राप्ति और भी सुनिश्चित सुदृढ़ तथा सहज हो।

उपर्युक्त समस्त बातें **नियोजन** शब्द में निहित है।

शैक्षिक नियोजन :

शैक्षिक नियोजन की परिभाषा करते हुए कहा गया है :—

"शैक्षिक नियोजन का अभिप्राय है सीमित संसाधनों के महत्तम उपयोग द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों की सम्प्राप्ति हेतु भावी कार्य योजना के सम्बन्ध में निर्णय लेना।"

शैक्षिक नियोजन की उपर्युक्त परिभाषा में तीन महत्वपूर्ण शब्द है :—

1—निर्धारित लक्ष्य/उद्देश्य।

2—सीमित संसाधनों का महत्तम उपयोग।

3—भावी योजना कार्य।

उपर्युक्त शब्दों की व्याख्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सरल ढंग से सुस्पष्ट की जा सकती है।

निर्धारित लक्ष्य/उद्देश्य :

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। लोक तन्त्र की सफलता देश के नागरिकों, उनमें पारस्परिक सम्बन्धों तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्थान एवं महत्व पर आश्रित है। समता, स्वतन्त्रता, न्याय और बन्धुत्व लोक तन्त्र के नियामक तत्व हैं। ये ही हमारे आदर्श हैं। शिक्षा राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक प्रगति के साथ-साथ मानवीय सम्बन्धों में प्रगाढ़ता लाने का एक सशक्त माध्यम है। इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से शिक्षा के नियोजित विकास पर ध्यान दिया जाने लगा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में साक्षरता प्रतिशत अत्यन्त निम्न था। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधा लगभग नगण्य थी। माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती थी। तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान तो लगभग नहीं के बराबर थे। हम अन्धकार में जी रहे थे।

हमारी कार्य प्रणाली विज्ञान आधारित न थी। प्राकृतिक और मानवीय सम्पदा के होते हुए भी हम उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे थे। हम बहुत सी बातों में परावलम्बी थे। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा को सुनियोजित ढंग से विकसित करने का संकल्प लिया गया।

नियोजन के लिए उद्देश्यों, एवं प्राथमिकताओं को निर्धारित करना आवश्यक था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वीकरण प्रथम अनिवार्य प्राथमिकता निर्धारित की गयी। यह एक ऐसा लक्ष्य हैं जो अभी तक कई राज्यों में पूरा नहीं हो सका है। अपने ही प्रदेश में अभी तक 6—11 वर्ष के 1,78,88 हजार बच्चों में से मात्र 1,40,08 हजार बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात् अभी 22 प्रतिशत और बच्चों को विद्यालयों में लाने की आवश्यकता है।

15–35 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे युवकों जो निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर बनाना ही नहीं अपितु कार्यपरक शिक्षा देना हमारा एक लक्ष्य है। उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत न हो जाये, इसके लिए आवश्यक है कि उनके शिक्षण की सतत् व्यवस्था हो।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा में साहित्यिक एवं कलात्मक विषयों की ही प्रधानता थी क्योंकि विदेशी शासन की यह नीति थी कि यहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाय जो कि सफेद-पोश रोजगार पाने वाले नागरिकों को जन्म दे, जो विदेशी शासन के संचालन में सहयोग दे, जो देश को किसी प्रकार से आत्म निर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल न कर सके। यह बात उच्च शिक्षा के लिए और भी सत्य है। अतः स्वतन्त्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा के विवधीकरण पर ध्यान दिया गया। साहित्यिक वर्ग के साथ-साथ विज्ञान, कृषि, वाणिज्य एवं रचनात्मक विषयों का समावेश किया गया जिससे कि छात्र/छात्राएँ अपनी रुचि एवं समता के अनुसार विषयों का चयन कर सकें तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि शिक्षा को महत्व दिया गया। औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान शिक्षा को महत्व दिया गया और उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर इनमें *विशेष अध्ययन* एवं प्रशिक्षण के लिए सुविधा सुलभ कराने हेतु व्यवस्था की जाने लगी। विज्ञान के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान, जो कि विदेशी शासनकाल में पूर्णतः उपेक्षित था, पर विशेष बल दिया गया। परिणामतः महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, टाटा सैद्धान्तिक अनुसंधान संस्थान आदि संस्थानों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इण्डियन नेशनल साइंस एकाडेमी आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हुई जिन्होंने विगत 40 वर्षों के सतत् प्रयास से आज भारत को विश्व के प्रगतिशील देशों के सामने खड़ा कर दिया है।

शिक्षा के उद्देश्यों तथा नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा सुझाव देने के लिए समय-समय पर समितियाँ, आयोग आदि गठित किये जाते हैं। स्वतन्त्र भारत में डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च शिक्षा आयोग (1948), डा० लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (1954), डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षत में गठित शिक्षा आयोग (1964–66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदि द्वारा संस्तुत शिक्षा के उद्देश्त, शिक्षा नीति आदि हमारे आलोक स्तम्भ हैं, जिनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर हम आज वर्तमान स्वरूप तक पहुँच सके हैं।

बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विशेष महत्व के है। शिक्षा के स्तर और उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है :—

"हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा" हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता है।

शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर बनाती है जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके के अमल की सम्भावना बढ़ती है और समझ और चिन्तन में स्वतन्त्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतन्त्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है।

शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है जो राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधार शिला है।

कुल मिलाकर, यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम की धुरी माना गया है।"

राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास में शिक्षा के उपर्युक्त महत्व एवं भूमिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जाति-पाति, धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराना, सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना—10 + 2 + 3 के ढाँचे को लागू करना, 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाईस्कूल अर्थात् कुल 10 वर्ष का "सामान्य केन्द्रिक" पाठ्यक्रम, "वसुधैव कुटुम्बकम" के विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का सुदृढ़ीकरण, सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुण्ठाएँ दूर करने, देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु सम्पर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद एवं बहुभाषी शब्दकोष, पर बल, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं का सार्वदेशिक स्वरूप, शोध और विकास तथा विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक बाना बाना स्थापित करना जिससे कि वे अपने-अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें, आदि।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत कहा गया है :—

"माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। इसी अवस्था पर बच्चों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है। साथ ही इस अवस्था पर अपने संवैधानिक दायित्व और नागरिक के अधिकारों से भी उन्हें परिचित हो जाना चाहिए। अच्छे शिक्षा-क्रम द्वारा उनमें चेतन रूप से कर्मशीलता के और करुणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जायेंगे। इस स्तर पर विशेष संस्थाओं में व्यवसाय को शिक्षा के द्वारा और माध्यमिक

आयु वर्ग के बच्चे कितने हैं, किसकी क्या आवश्यकता है, किसको किस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसे परिवार का मुखिया और विभिन्न परिपक्व वरिष्ठ सदस्य समझते हैं। गाँव या मुहल्ले की क्या आवश्यकता है, किसे प्राथमिता दी जानी चाहिए, इसे गाँव के प्रबुद्धजन समझते हैं। इसी प्रकार जिले की आवश्यकता क्या है, इसे उस जिले के निवासी अधिक अच्छी तरह से समझते हैं, अपेक्षा सुदूर बैठे राज्य स्तर पर सोचने वाले लोग। इसे प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होने की अपेक्षा प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकता एवं तद्नुसार शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय लेना अधिक तर्क संगत और व्यावहारिक है। इसीलिए शिक्षा को राज्य विषय/क्षेत्र के अन्तर्गत रख गया था। किन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन हेतु कुछ लक्ष्यों-उद्देश्यों को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीयत्तर से निर्देशन, संचालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आवश्यक है, अन्यथा क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की सम्भावना रहती है। केन्द्र और राज्य के बीच सहभागिता को अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में में संविधान का संशोधन अरके शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इसके अन्तर्गत यह अभिकल्पित था कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उनके दायित्व में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी—शिक्षा के राष्ट्रीय एवं समकलनात्मक (इंटेग्रेटिव) रूप को बल देना, गुणावत्ता एवं स्तर बनाये रखना, विकास के निमित्त जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और देख-रेख शोध एवं उच्च अध्ययन की जरूरतों को पूरा करना, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान देना और सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने का निरन्तर प्रयास करना।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि शिक्षा के महत्व को दृष्टि में रखते हुए जहाँ पर शैक्षिक नियोजन की इकाई परिवार अथवा गाँव है, वहीं पर सम्पूर्ण राष्ट्र इसके परिदृश्य से ओझल नहीं हो सकता है। वस्तुतः नियोजन की तुलना एक पिरेमिड से की जाती है जिसका विस्तृत आधार होता है और जो धीरे-धीरे शीर्ष तक पहुँचता है, और इसके विपरीत ऊपर से चिन्तन प्रारम्भ होकर विस्तृत आधार तक कार्यरूप में परिणित होता है।

जिला योजनाएँ :

उत्तर प्रदेश में जिले को इकाई मानते हुए विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली को वर्ष 1982–83 से लागू किया गया। जिला योजना में ऐसी योजनाओं को रखा जाता है, जिनसे उसी जनपद के लोग लाभान्वित होते हैं। प्रत्येक जनपद में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति गठित की गयी है जो कि जनपद में योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जनपद के विकास अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव और सभी विकास विभागों के जनपदीय अधिकारी

इस समिति के सदस्य होते हैं। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल विकास समिति होती है जिसके संयुक्त विकास आयुक्त सदस्य सचिव होते हैं। जिला स्तर पर संस्तुत योजना को आवश्यकतानुसार मण्डल समिति संशोधनोपरान्त नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करती हैं। राज्य स्तर पर वित्त सचिव, नियोजन सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव की एक समिति उपलब्ध आर्थिक संसाधनों तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर संशोधन/परिवर्तन के उपरान्त जिला योजना को अन्तिम रूप देती है।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख जिला योजनाएँ संचालित हैं :—

(1) निदेशन एवं प्रशासन सम्बन्धी—जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का का सुदृढ़ीकरण।

(2) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश। ।

(3) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था।

(4) राजकीय उ० मा० विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण।

(5) राजकीय उ० मा० विद्यालयों में भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत।

(6) सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप कक्षा कक्ष, काष्ठोपकरण एवं सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा।

(8) प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6–8 में 15 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति।

(9) उ० मा० विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार।

(10) माध्यमिक स्तर पर खेलकूद तथा विद्यालय के बाहर अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवा कल्याण हेतु प्रावधान।

(11) वर्तमान राजकीय पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना।

(12) सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों पुस्तकालयों का सम्वर्द्धन।

(13) सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान ।

(14) संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान (वर्ष 1992–93 से राज्य योजना में) ।

(15) राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा नए राजकीय स्कूल खोलना (वर्ष 1992–93 से जिला योजना में सम्मिलित) ।

(16) राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण (वर्ष 1992–93 से जिला योजना में सम्मिलित) ।

(17) सहायता प्राप्त उ० मा० वि० में विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण का प्राविधान (वर्ष 1992–93 से) ।

उपर्युक्त समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव तैयार करके शासन को अनुमोदनार्थ भेजे जाते हैं । प्रत्येक योजना के लिए कुछ मानक एवं शर्ते निर्धारित होती हैं । मानकों के अनुसार योजना में लागत का आगणन प्रस्तुत किया जाता है । शर्तों की पूर्ति के आधार पर किसी विद्यालय को अनुदान स्वीकृत किया जाता है । अशासकीय विद्यालयों के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन आवश्यक होता है :—

(1) विद्यालय में कोई प्रबन्धकीय विवाद न हो ।

(2) विद्यालय में कोई गम्भीर वित्तीय अनियमितता न की गयी हो ।

(3) विद्यालय का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से निम्न न हो ।

(4) बालक विद्यालयों शासकीय तथा प्रबन्धकीय अंशदान का अनुपात 90:10 होगा तथा बालिका विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जायेगा ।

जिला योजनाओं को प्रस्तावित करते समय अन्तर्विकास खण्डीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए । जो योजनाएँ समय बद्ध ढंग से विभिन्न चरणों में पूरी हों यथा विद्यालय भवन का निर्माण उनके लिए क्रमश: 40%, 40% और 20% व्यय तीन वर्षों में प्रस्तावित किया जाना चाहिए । यह स्मरण रखना चाहिए कि पूँजीगत योजनाओं यथा भवन निर्माण में स्पिल ओवर हेतु वचन बद्ध व्यय का प्राविधान अवश्य किया जाय । इसी प्रकार राजस्व मद की आवर्तक व्यय मदों में वचनबद्ध व्यय यथा वेतन, भत्ते आदि की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए तत्पश्चात् नये कार्यों अथवा पदों के लिए

व्यय का प्रावधान होना चाहिए। जिला योजनाओं में परिव्यय निर्धारित किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जनपद में राजस्व मदों में एक योजना की धनराशि आवश्यकतानुसार शासन की स्वीकृति से योजना में समाठित की जा सकती है।

राज्य योजनाएँ :

राज्य के व्यापक हित में अन्तर जनपदीय विषमताओं को दूर करने एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कुछ योजनाएँ राज्य स्तर पर संचालित हैं :—

(1) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सुदृढ़ीकरण-विधि प्रकोष्ठ की स्थापना।

(2) नवसृजित जनपदों में लेखा संगठन की स्थापना।

(3) चुने हुए सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना।

(4) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना।

(5) राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण (वर्ष 1992–93 से जिला योजना में व्यवहृत होगी)।

(6) विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्थापना एवं राजकीय कन्या सी० बे० स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन (वर्ष 1992–93 से जिला योजना के रूप में व्यवहृत होगी)।

(7) असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना।

(8) सहायता प्राप्त उ० मा० वि० को छात्र प्रवेश के दबाव को कम करने हेतु अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु अनुदान।

(9) प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में विज्ञान गणित अध्यापकों के पदों का सृजन।

(10) सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं को अनुदान।

(11) कक्षा 9–12 के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा के प्रति क्षतिपूर्ति।

(12) कक्षा 7–8 के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा के प्रति क्षतिपूर्ति।

(13) सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रोत्साहन हेतु अनुदानें।

(14) अध्यापकों, अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का बोधात्मक प्रशिक्षण।

केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाएँ :

विशेष महत्व की ऐसी योजनाएँ जिनके क्रियान्वयन में अत्यधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो और जिनके प्रति वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्यों द्वारा पूर्ण ध्यान देने में कठिनाई हो, किन्तु राष्ट्रीय हित को देखते हुए उनको तत्काल क्रमबद्ध रूप से लागू करना अनिवार्य हो, केन्द्रीय शासन उनको लागू करने हेतु वित्तीय सहायता देती है। ऐसी योजनाएँ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ कहलाती हैं। समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर इनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी किया जाता है। सम्प्रति निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ संचालित हैं :—

(1) +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना।

(2) कम्प्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना।

(3) विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की व्यवस्था, अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा पुस्तकीय सहायता।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मेरिट के उच्चीकरण हेतु सहायता अनुदान।

(5) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

विशेष ध्यान देने योग्य बातें :

शैक्षिक नियोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख बातें निम्नवत् हैं :—

(1) शुद्ध, विश्वसनीय एवं सुसंगत आंकड़ों/सूचनाओं का संकलन।

(2) योजनाओं का वैज्ञानिक ढंग से संरचना।

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन में आधुनिक तकनीकों/विधियों का उपयोग।

(4) योजनाओं की समीक्षा तथा अनुवर्ती (फीड बैक) की प्राप्ति और तद्नुसार परिवर्तन।

(5) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

शैक्षिक विकास हेतु वर्तमान में जो विभिन्न योजनाएँ (स्कीम्स) चालू योजनाएँ कहा जाता है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा हर स्तर पर की जानी चाहिए जिससे कि ये समयान्तर्गत पूरी हो सकें। साथ ही यह निश्चय किया जा सके कि जिन उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर योजना संचालित की गयी है उनकी सम्प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं। उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसके कारणों का निदान किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उनका उपचार ढूंढ़ना चाहिए, उनमें संशोधन, परिवर्द्धन और परिवर्तन करना चाहिए अन्यथा सीमित उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जो राष्ट्रीय हित में कदापि नहीं है। अनावश्यक योजनाओं को समाप्त कर देना चाहिए। विभिन्न विभागों की विशिष्ट योजनाओं के विशेष मूल्यांकन हेतु योजना आयोग के अन्तर्गत योजना मूल्यांकन एवं शोध विभाग का गठन किया गया है।

विचारणीय बिन्दु :

(1) शैक्षिक नियोजन का क्या महत्व है ? नियोजन की प्रक्रिया क्या है नियोजन की सफलता किन बातों पर निर्भर है ?

(2) आपके विद्यालय में कौन-कौन सी (क) जिला योजनाएँ, (ख) राज्य उयोजनाएँ और (ग) केन्द्रीय योजनाएँ संचालित है ?

किन-किन योजनाओं में आपको आवर्तक अनुदान मिला है, और किन में अनावर्तक अनुदान मिला है ? क्या आपके अनावर्तक अनुदान का उपभोग कर लिया है और उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशालय भेजा जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? आपको स्मरण रखना चाहिए कि उपभोग प्रमाण-पत्र नहीं उपलन्ध कराने पर भविष्य में अनुदान प्राप्त करना कठिन होता है।

(3) क्या आवर्तक अनुदानों का सही ढंग से उपभोग हो रहा है ? क्या जिन उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर अनुदान दिया जा रहा उनकी प्राप्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन कारणों को दूर करने हेतु विचार कीजिए।

(4) क्या आपने संस्थागत नियोजन की हैं ? वित्तीय व्यवस्था हेतु आपने क्या उपाय अपनाये हैं ? आपको अभीष्ट दिशा में बढ़ने में कितनी सफलता मिली है ? क्या और प्रयास करेंगे ?

(5) नियोजन के लिए विश्वसनीय सांख्यिकी/आकड़ों की नितान्त आवश्यकता होती है। क्या आप अपने विद्यालय की सांख्यिकी तैयार रखते हैं, जिसमें विद्यालय का मान्यता वर्ष, मान्यता विषय, उच्चीकरण वर्ष, छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, उनकी योग्यताएँ, विगत 3 वर्षों के परीक्षाफल-संख्यात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण सहित, विद्यालय भूमि, भवन प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, खेल के मैदान, कृषि योग्य भूमि, विगत वर्षों में प्राप्त अनुदान, प्रबन्धतन्त्र की स्थिति आदि का विस्तृत विवरण हो।

(6) आपकी दृष्टि में किन-किन क्षेत्रों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आकांक्षाओं एवं आदर्शों की संप्राप्ति हेतु योजनाओं को प्राथमिकता देकर निर्मित एवं संचालित करने की आवश्यकता हैं, और क्यों ? कुछ नये प्रस्ताव कीजिए।

कार्यानुभव पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

— ज्ञानदत्त पाण्डेय
प्राचार्य
राजकीय सी० पी० आई०,
इलाहाबाद ।

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्म जात शक्तियों का विकास होता है, उसके व्यवहार तथा विचारों में निरन्तर परिवर्तन परिवर्धन एवं परि-मार्जन होता है और वह अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समझने, उसे सुरक्षित रखने और विकास करने में समर्थ होता है । आजीवन चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है । शिक्षा द्वारा ही बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव है ।

बालक बालिका के सर्वांगीण विकास एवं सर्वतोमुखी विकास के लिए कार्यानुभव तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के आयोजन की उपयोगिता अपरिहार्य है । बालकों को बौद्धिक विकास के लिए जहाँ पुस्तकीय ज्ञान देना आवश्यक है वहीं उसको व्यावहारिक ज्ञान तथा सामाजिक कार्य कुशलता में निपुणता प्राप्त करने के लिए कार्यानुभव तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन विद्यालयों के लिए आवश्यक है । बच्चों में अन्तर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृतियों अभिरुचियों को विकसित एवं मुखरित करने के लिए विद्यालयों में इनका आयोजन नितांत अपेक्षित है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की महत्ता को पुनः स्वीकार किया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित नीति की विषयक घोषणा की गयी है—शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्यानुभव (उद्देश्य पूर्ण एवं उपयोगी शारीरिक श्रम) को शिक्षा प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा माना गया है । इसके परिणाम स्वरूप या तो वस्तु का उत्पादन होगा या समुदाय की सेवा । यह कार्य अनुभव सुसंगठित व विभिन्न स्तर पर कराया जायेगा ।

इसके अन्तर्गत छात्रों की रुचियों, योग्यताओं आवश्यकताओं शैक्षिक स्तर के बढ़ने पर ज्ञान तथा कौशल में होने वाली वृद्धि के स्तर के अनुरूप कार्यों का समावेश किया जाता है । यह अनुभव कार्य जगत में प्रवेश करते समय सहायक सिद्ध होता है । निम्न माध्यमिक

स्तर के पूर्ण व्यावसायिक कार्यक्रमों के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषयों के चुनाव में सरलता होगी।

उक्त घोषणा के अनुसार जो तथ्य उभर कर सामने आये हैं उनमें प्रमुख हैं—सीखने की क्रिया का महत्व, कार्य से वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवा, कार्य की सार्वजनिक महत्ता, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों की जानकारी तथा शैक्षिक स्तर के अनुरूप दक्षता स्तर की वृद्धि।

कार्यानुभव का मुख्य उंद्देश्य है कार्य जगत में सुगमता से प्रविष्ट होना और अधिकांश छात्रों द्वारा अपने झुकाव तथा रुचि से अनुसार व्यवसाय चुनना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित कार्यानुभव कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता है माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक, व्यावसायिक कार्यक्रम का प्रावधान।

उच्च शिक्षा प्राथमिक स्तर पर बच्चे उच्च दक्षता द्वारा कठिन कार्य करने के लिए प्रारम्भ से परिपक्व हो जाते हैं। मानव आवश्यकताओं में चुने हुए क्षेत्रों में सुनियोजित परियोजनाएँ हाथ में ले सकते हैं। वह कार्यानुभव कार्यक्रम के पूर्व व्यावसायिक अभिमुखीकरण कार्य जगत तथा उत्पादन प्रक्रिया के गहन अध्ययन और साथ ही साथ उच्च स्तर—माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की पूर्ववृत्तियों का द्योतक है। हाईस्कूल में उच्च प्राथमिक स्तर से अधिक विकसित लक्ष्य और ध्येय होने चाहिए। इस स्तर पर कार्यानुभव कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिससे पर्यावरण सुधार एवं रक्षण प्रदूषण में कमी, उचित पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि का अर्थ पूर्ण विकास हो सके। इन क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यों को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए कि वे परियोजना का रूप ग्रहण कर सके और इन्हें एक से तीन वर्ष के बीच किसी निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। कार्यों एवं परियोजनाओं का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए कि छात्रों और समुदाय दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। केवल उन्हीं कार्य-कलापों का चयन किया जाय जो उनकी परिपक्वता स्तर के अनुकूल हो, उनकी उत्सुकता की संतुष्टि कर सके। तथा वांछित कार्य और सामाजिक मूल्यों का विकास कर सके। प्रत्येक गतिविधि के तीन रूप होंगे।

(1) कार्य स्थितियों में प्रतिभागिता और समस्याओं की पहचान।

(2) व्यर्थ सामग्रियों की उपयोगी अथवा सुन्दर वस्तुओं में बदलना।

(3) अधिक संख्या में उपयोगी सुन्दर वस्तुओं का निर्माण।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अर्न्तत खेलकूद, योगासन स्काउट गाइड, रेडक्रास तथा पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों की व्यवस्था एवं आयोजन पर विशेष बल दिया गया है। पाठ्य सामग्री क्रिया-कलापों द्वारा ही बालकों की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास सम्भव हैं। इस दृष्टि से पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाप बालकों के सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम हैं। आज जब शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ रही है तो आवश्यक हो गया है कि पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों से आयोजन क्रियान्वयन आदि को शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख साधन के रूप में-अनिवार्यतः स्वीकार किया जाय। बढ़ती वैज्ञानिक उपलब्धियों सामाजिक क्षमताओं ने मानवता को आतंकित कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में मानव मानव कैसे रह सके, आपकी सद्भावना एवं सहयोग की वृद्धि कैसे हो सके। यदि मानवतावादी समाज के लिए चिन्ता के विषय बने हुए है। यही कारण है कि विद्यालयीय पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी कार्य, पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चरित्र निर्माण, आदर्श नागरिकता को शिक्षा, सेवा भावना की जागृति, अच्छी आदतें, विश्वसनीयता के गुण, उत्तम स्वास्थ्य, प्रतिभा विकास, प्रसन्न रहने की आदत तथा मानवीय मूल्यों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इन गुणों का विकास पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के आयोजन से सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

प्रातः सभा, सामूहिक पी० टी०, खेलकूद, क्लब, परिषद, संघ, प्रदर्शनी, वाचनालय पुस्तकालय, विद्यालय प्रांगण का सौन्दर्यीकरण राष्ट्रीय एवं समाज सेवा, सामुदायिक कार्य, श्रमदान, श्रव्य दृश्य उपकरण एवं विशिष्ट आयोजन, राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों के जन्म दिवस, वार्षिकोत्सव आदि का आयोजन करते हुए उत्कृष्ट प्रतिभागियों, आदर्श छात्रों आदि को सम्मानित एवं पुरस्कृत करते हुए पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों को शिक्षण का एक अपरिहार्य अंग बनाया जाना चाहिए।

सतत् व्यापक मूल्यांकन :

सोद्देश्य व्यक्तित्व के समयबद्ध विकास की गतिविधियों की उपलब्धि का सुनियोजित आंकलन मूल्यांकन कहलाता है। अभी तक मूल्यांकन सीमित रूप में शैक्षिक उपलब्धियों के लिए ही प्रयुक्त होता आया है परन्तु शैक्षिक क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ अब उसके क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है। वस्तुतः व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोगत्यात्मक, पक्षों की जो भी गतिविधियां नियोजित की जाती है उनकी उपलब्धि के मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं, आकाक्षांओं से सम्बद्ध है। शिक्षा के उद्देश्य में राष्ट्रीय अस्मिता के संरक्षण के साथ उसका गत्यात्मक एवं प्रगतिशील विकास भी निहित है।

उसके द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक रुचियों, गुणों एवं मनोवृत्तियों तथा योग्यताओं का विकास भी अनिवार्य है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा की जो भी गतिविविधियाँ निर्धारित की जाय या पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम बनाया जाय, समग्र रूप में उसका मूल्यांकन भी हो जिससे बालक की सर्वतोन्मुखी उपलब्धियाँ प्रकाश में आ सकें।

सम्भवत: पारस्परिक शिक्षा की व्यवस्था में अति प्राचीन काल से शैक्षिक अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अथवा पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप होते चले आ रहे हैं और मूल्यांकन केवल शैक्षिक पाठ्यक्रम के क्षेत्र में ही सीमित रहता रहा है। खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम, वाद-विवाद भाषण तथा स्काउटिंग, खेल-कूद जैसे कार्य व्यक्तित्व के विकास की अनिवार्यता है जिनकी उपलब्धियाँ बिना विधिवत मूल्यांकन के उजागर नहीं हो पाती। अब अवधारणा ही नहीं अपरिहायता है कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक सभी शैक्षिक एवं शैक्षिकतर गतिविधियों को मूल्यांकन के क्षेत्र में समाहित किया जाय।

सतत् मूल्यांकन :

मूल्यांकन में सतत् शब्द ध्यातव्य है। अभी तक मूल्यांकन सत्र में एक या दो बार ही सम्पन्न होता आ रहा है। मूल्यांकन की यह विधा न तो बालकों की वास्तविक उपलब्धियों को उभारती है और न ही सबको उत्प्रेरित कर पाती है, बल्कि छात्रों को अनेक कुण्ठाओं से ग्रसित करती है तथा उनके स्वाभाविक विकास में अवरोध लाती हैं। अत: मूल्यांकन व्यवस्था के शिक्षण एवं विभिन्न गतिविधियों के साथ समयबद्ध निरंतरता का समावेश किया जाना आज के युग की मांग है जो न केवल मनोवैज्ञानिक ही है अपितु बालकों के लिए उत्साहवर्द्धक भी है। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या की समस्त गतिविधियों की पूरे सत्र का समय अधिभार एवं अंक अधिभार की दृष्टि से युक्ति संगत ढंग से इस प्रकार विभाजित कर लिया जाय कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ मूल्यांकन के सतत् सोपानों में बँट जाय और सतत् मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करे जिससे बालकों को पश्चपोषण (फीड बैंक) के साथ विकास के उत्कर्ष की ओर लाया जा सके। समस्त गतिविधियाँ इकाइयां इस प्रकार क्रमायोजित की जाँय कि जैसे-जैसे सम्पन्न की जाँय, उनका मूल्यांकन शिक्षक द्वारा होता जाय। एक इकाई का मूल्यांकन करने के पश्चात आगे की इकाई को आगे की व्यवस्था में रखा जाय। उचित होगा कि सत्र में ऐसे 8 मासिक

मूल्यांकन हों तथा दो सत्रीय मूल्यांकन हों जिससे छात्रों की सभी क्षेत्रों की प्रगति का पता लग सके।

मूल्यांकन की इस विधा से छात्र की कमजोरियों का पता लग सकता है और उसकी कमजोरियों को दूर कर सकना अध्यापक और बालक दोनों के लिए सरल और स्वाभाविक होगा। जो छात्र कहीं भी किसी गतिविधि का बोध प्राप्त करने में वंचित रह गया होगा उसे पुनः उपचारात्मक निर्देश द्वारा आगे बढ़ने में सहायता दी जा सकती है। मुख्य रूप से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

(1) यह मूल सत्र से अनौपचारिक परीक्षा है किन्तु उचित सावधानियाँ बरत कर एक औपचारिक विधि के रूप में भी उसे अपनाया जा सकता है।

(2) यह विषय वस्तु के एक संक्षिप्त संगत और सुगठित छोटे अंश पर आधारित होती है।

(3) यह तैयारी के लिए औपचारिक समय मिले बिना अध्यापन अध्ययन कार्यक्रम की समाप्ति पर स्वयं आती है।

(4) पाठ्य-क्रम परीक्षाओं की तुलना में इसमें परीक्षण विधियों में अधिक लचीलापन पाया जाता है।

(5) एकांश परीक्षाओं के परीणामों से प्राप्त जानकारी का उपयोग तत्काल पढ़ाई में सुधार, शिक्षण में संशोधन और छात्र के अधिकतम विकास के लिए उपचारात्मक कार्य में किया जाता है।

व्यापक मूल्यांकन :

व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य शैक्षिक पाठ्य-क्रम में मूल्यांकन के साथ-साथ शैक्षिकेतर समस्त गतिविधियों में प्रत्येक छात्र की सहभागिता एवं सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन सुनिश्चित करने से है। एक विद्यालय परिसर में सम्पादित होने वाले समग्र गतिविधियों में छात्र या बालक की सहभागिता सुनिश्चित करना उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना जाता है और इस प्रकार सम्पूर्ण आयोजित होने वाली गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था व्यापक मूल्यांकन है।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की रूप रेखा :

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को सफल बनाने के आवश्यक है कि शैक्षिक पाठ्य-क्रम के साथ-साथ सम्पन्न होने वाली समग्र गतिविधियों का आंकलन कर समयबद्ध कार्य-क्रम सुनिश्चित कर लिया जाय। सामान्यत: विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियाँ शैक्षिकेतर गतिविधियों सम्पादित होती है। शैक्षिक पाठ्य-क्रम को सम्पन्न करने के लिए निर्धारित विषयों के अनुसार पारम्पारिक रूप में कक्षा शिक्षण किया जाता है जिससे मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित है।

शैक्षिकेतर गतिविधियाँ :

व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व विकास से जुड़े सभी पक्ष सम्मिलित रहते हैं :—

(1) निजी और सामाजिक गुण (नियम और समय से आना स्वच्छता की आदत, सहयोग की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, स्थिर चिन्तन और समाज सेवा की भावना आदि)।

(2) रूचियां—साहित्य, संगीत, कला आदि।

(3) राष्ट्रीय पक्ष—धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रीय एकता आदि।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा—खेल-कूद, व्यायाम, योग और स्वच्छता आदि।

(5) पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों में निपुणता—वाद-विवाद, नाटक, भाषा खेलकूद, बालचर, जूनियर रेडक्रास आदि।

(6) कार्यानुभव—सोद्देश्य और सार्थक शारीरिक कार्य की दृष्टि से कार्यानुभव को जो सीखने की प्रक्रिया का अंग है और जिसका परिणाम किसी सामग्री के रूप में अथवा समाज सेवा के रूप में, प्राप्त होता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है और उसे सुनियोजित तथा स्तरीय कृत कार्यों के रूप में प्रदान किया जाता है, कार्यानुभव कहलाता है।

संचालन, नियोजन, समय सारिणी आदि :

व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए अध्यापक मण्डल के सदस्यों में से प्रभारी नियुक्त किये जायँ। अच्छा होगा कि एक गतिविधि के लिए एक

प्रभारी नियुक्त किया जाय। इस बात का विशेष ध्यान रक्खा जाय कि जिस गतिविधि में अध्यापक की रुचि हो उसे उसी गतिविधि का प्रभारी नियुक्ति किया जाय।

शैक्षिकेतर गतिविधियों में निर्धारण से दो प्रकार की गतिविधियाँ आयेंगी :—

(1) कक्षा-कक्षों में सम्पन्न होने वाली आन्तरिक गतिविधियाँ।

(2) कक्षा-कक्ष के बाहर अर्थात् मैदान में सम्पन्न होने वाली वाह्य गतिविधियाँ।

प्रत्येक गतिविधि के लिए स्थान का सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है। आन्तरिक गतिविधियों के लिए कक्षा-कक्ष उपयोगी होते हैं और वाह्य गतिविधियों के लिए मैदान। आन्तरिक गतिविधियों में कक्ष निश्चित हो जाने से छात्रों का कोई भी समूह अपनी समय सारिणी के अनुसार जाकर कार्य कर सकता है। उसे वहाँ प्रभारी तथा निर्धारित गति विधि की सामग्री व्यवस्थित मिलेगी। कार्य संचालन में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार वाह्य गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिए भी स्थान निर्धारित कर लेने से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य संचालन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पूरे विद्यालय के छात्रों को गृहों में विभक्त करने से कार्य संचालन करने में सुविधा होगी। इसलिए सप्ताह में 6 दिनों के लिए पूरे विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को 6 गृहों में विभाजित कर दिया जाय। प्रत्येक गृह को आदर्श और प्रेरणादायक महा-पुरुषों के नामों से अभिहित किया जाय। साथ ही कार्य संचालन की सुविधा के लिए एक समय सारिणी का निर्माण किया जाय जिसमें शैक्षिक समय सारिणी के साथ शैक्षिकेतर विधियों के लिए एक वादन प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाय। समय सारिणी की गतिविधियों के अनुसार गतिशील रोटेशन इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे सप्ताह में प्रत्येक विद्यार्थी सभी गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित कर सके।

सतत् व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से उक्ति होगा कि सत्र में 8 मासिक परीक्षाएँ प्रति परीक्षाएँ 10 अंक इस प्रकार कुल 80 अंक तथा एक वार्षिक मूल्यांकन 20 अंक, इस प्रकार प्रत्येक छात्र का पूरे सत्र में 100 अंक का मूल्यांकन होगा। इसमें दो प्रकार के प्रपत्र उपयोग में लाया जाना उचित होगा जिनका विकास विशेषज्ञों द्वारा सर्वमान्य रूप में पूरे प्रदेश के लिए किया जाना आवश्यक है :—

(क) मासिक मूल्यांकन प्रपत्र।

(ख) वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र।

उक्त प्रपत्रों में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए :—

(1) छात्र के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, एवं रुचियों से सम्बन्धित जानकारी ।

(2) मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का विवरण ।

(3) छात्रों के लिए प्रगति पत्र ।

(4) संचयी अभिलेख पंजिका ।

समग्र में सतत् व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था के लिए समय सारिणी में प्रदत्त गतिविधि के लिए संदर्भित अध्यापक आवश्यक है। और सतत् मूल्यांकन प्राप्त परिणामों से अभिभावकों के सूचनार्थ तथा अन्य आवश्यक उपयोग के लिए सम्बन्धित प्रपत्रों एवं संचयी अभिलेखों का सम्यक् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। इस मूल्यांकन की सफलता पूरे विद्यालय परिवार की प्रेरणा तत्परता समर्थन एवं जागरुकता पर निर्भर है ।

———

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7715
DOC, No ....
Date 01-09-93

NIEPA DC
D07715